आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका

प्रधान सम्पादिका

डॉ. मनीषा शुक्ला,maneeshashukla76@rediffmail.com

पुनर्निरीक्षक संपादक

प्रो. विभा रानी दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ.प्र.,भारत

डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद,उ.प्र.,भारत

प्रो. उमेश चंद्र दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, उ. प्र.,भारत

सम्पादक

डॉ. महेन्द्र शुक्ल, डॉ. अंशुमाला मिश्रा

सम्पादक मण्डल

डॉ. सपना भारती, डॉ. भावना गुप्ता, डॉ. राजेश, डॉ. रेनू कुमारी, डॉ. निशी रानी, डॉ. संगीता जैन, डॉ. आरती बंसल, डॉ. कला जोशी, डॉ. सुनीता त्रिपाठी, डॉ. रानी सिंह, डॉ. स्वीटी बंदोपाध्याय, डॉ. अर्चना शर्मा, डॉ. पिन्टू कुमार, मधुलिका सिन्हा, डॉ. मधुलिका, डॉ. नीलू कुमारी, डॉ. मनीषा आमटे, डॉ. सुषमा पराशर, डॉ. सिद्धार्थ पाण्डेय, डॉ. मनोज कुमार राय, आशा मीणा, तन्मय चटर्जी, अनीता वर्मा, अनन्द रघुवंशी, नंद किशोर, रेनू चौधरी, श्याम किशोर, विमलेश कुमार सिंह, अखिलेश रध्वज सिंह, दिनेश मीणा, गुंजन, विनीत सिंह, नीलमणि त्रिपाठी, अंजू बाला, ब्रजेश कुमार, डॉ. इन्दुमती सिंह, रमेश चन्द

अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल

रेव डोडामगोडा सुमनासार (श्रीलंका), वेन केन्डागेले सुमनारांसी थेरो (श्रीलंका), रेव टी धम्मारतना (श्रीलंका), पी.त्रिराची सोडामा (श्रीलंका), फ्रा च्युतिदेश सैन्सोम्बट (बैंकाक,थाईलैंड), फ्रा बूनसर्मस्त्रिथा (थाईलैंड), डॉ. सीताराम बहादुर थापा (नेपाल), मोहम्मद सौरजाई (जाबोल, ईरान), माजिद करीमजादेह (ईराक), डॉ. अहमद रेजा केईखाय फरजानेह (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद जारेई (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद मोजटाबा केयाहफरजानेह (जाहेडान, ईरान), डॉ. होसैन जेनाबदी (सिस्तान एवं बलूचिस्तान, ईरान), मोहम्मद जावेद केयाह फरजानेह (जाबोल, ईरान)

प्रबन्धक

महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

सारांश एवं सूचीपत्र

मोतीलाल बनारसीदास सूचीपत्र वाराणसी, मोतीलाल बनारसीदास सूचीपत्र दिल्ली, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका सूचीपत्र वाराणसी, सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी सूचीपत्र दिल्ली, डी.के.पब्लिकेशन सूचीपत्र दिल्ली, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्यूनिकेशन एण्ड इन्फारमेशन रिसोर्स सूचीपत्र दिल्ली, नोएडा कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन सूचीपत्र गौतमबुद्ध नगर

पाठकों से

आन्वीक्षिकी,भारतीय शोध पत्रिका प्रत्येक दो माह (जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर) पर एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण वाराणसी उ.प्र. भारत द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक वर्ष में आन्वीक्षिकी,भारतीय शोध पत्रिका 6 भाग हिन्दी एवं 6 भाग अंग्रेजी एवं 3 अतिरिक्तांकों के भाग में प्रकाशित की जाती है। डॉक खर्च दर के सम्बन्ध में जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

वार्षिक पाठक मूल्य दर

संस्थागत एवं व्यक्तिगत : भारतीय 5000+1000/-डाक शुल्क, एक प्रति 1200+100/- डाक शुल्क, वैदेशिक : 6000+डाक खर्च, एक प्रति 1000+डाक शुल्क

विज्ञापन एवं निवेदन

विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधान सम्पादिका के पते पर संपर्क करें। आन्वीक्षिकी एक स्ववित्तपोषित पत्रिका है,अत: किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सराहनीय होगा। कृपया अपनी सहयोग राशि चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें।

सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर ही प्रेषित करें-

बी.32/16 ए. 2/1,गोपालकुंज,नरिया,लंका वाराणसी उ.प्र. भारत,पिन कोड 221005 मोबाइल नं. 09935784387,

टेलीफोन नं. 0542-2310539.,E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com,www.anvikshikijournal.com

मिलने का समय : 3-5 दिन में(रविवार अवकाश)

पत्रिका संयोजन : महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

प्रकाशन :एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण

प्रकाशन तिथि : 1 सितम्बर 2014

मनीषा प्रकाशन

(पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/ 2007-2008 बी.32/16 ए. 2/1,गोपालकुंज,नरिया, लंका वाराणसी उ.प्र. भारत)

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

वर्ष-8 अंक-5 सितम्बर-2014

शोध प्रपत्र

महिला आरक्षण और उनकी राजनीतिक गतिशीलता -प्रदीप कुमार भिमटे एवं डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी 5-9
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन -डॉ. प्रमोद कुमार यादव 10-15

शिवमंगल सिंह "सुमन" के गीतों में समसामयिक चेतना -डॉ. आरती बंसल 20-25
स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में नारी -अम्बा शुक्ला एवं प्रभा कौशिक 26-29

साहित्य के झरोखे में नारी -डॉ. एम. डी. भास्कर 33-35
भारत में महिला सशक्तिकरण : सामाजिक एवं संवैधानिक परिदृश्य -डॉ. मनीषा आमटे 39-43

महिला सशक्तिकरण : ऐतिहासिक अध्ययन -डॉ. विशाल आनंद 48-52

स्त्रियों में मूल्य संवर्द्धन द्वारा महिला सशक्तिकरण -डॉ. विभा त्रिपाठी 53-55
भारतीय बावड़ियों की सिरमौर रानी की वाव [गुजरात] और चांद बावड़ी [राजस्थान] का समीक्षात्मक अध्ययन -
सन्तोष कुमार एवं डॉ. प्रसन्न पाटकर 56-58

प्रिंट ISSN 0973-9777, वेबसाइट ISSN 0973-9777

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,5-9
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 16 अगस्त 2014

महिला आरक्षण और उनकी राजनीतिक गतिशीलता

प्रदीप कुमार भिमटे* एवं डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी**

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *महिला आरक्षण और उनकी राजनीतिक गतिशीलता* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र की लेखक *प्रदीप कुमार भिमटे एवं डी. एन. सूर्यवंशी* घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय देश के नेतृत्व के समय यह समस्या थी कि सम्पूर्ण जन संख्या में बहुसंख्यक वर्ग का निर्माण करने वाले अस्पृश्य, पिछड़ी जाति वर्ग एवं महिलाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए? इस वर्ग के ऊपर वर्षों से सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक निर्योग्याताओं थोपी गई थी जो प्राकृतिक न होकर प्राचीन भारतीय समाज की देन थी इनके परंपरागत निर्योग्याताओं को दूर करके शीर्ष भेदभाव तथा उत्पीड़न के बंधन से मुक्त कराकर अन्य लोगों के समकक्ष लाना तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना, इस काल का चिन्तनीय बिन्दु बन गया था।

डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को सामाजिक न्याय का पर्याय मानते थे। उनका मानना था कि न्याय पूर्ण व्यवस्था न्यायपूर्ण विधान के बिना स्थापित नहीं हो सकती। संविधान के द्वारा न्याय पूर्ण व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। जातिगत भेदभाव एवं महिलाओं की परम्परागत आंदोलनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने नारी के पतन के लिए मनु को पूर्णतः जिम्मेदार माना है।

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जनतांत्रिक पद्धति का मूल आधार सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। अर्थात् लोकतंत्र उस अवस्था में ही सफल होगा जब देश के हर वर्ग, व्यक्ति एवं सदियों से चार दिवारी में कैद महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। भारत के तमाम उपेक्षित वर्ग में महिलाओं का एक बड़ा तबका भी शामिल है। इसलिए यह जरूर हो जाता है कि राजनीतिक प्रशासनिक शिक्षा सहित विकास के अन्य क्षेत्रों में महिलायें अग्रसर हैं। और इन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, यद्यपि जीवन के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में 9 महिलाओं के उपस्थिति एवं उपलब्धियाँ बढ़ी है। किन्तु इनकी राजनीति स्थिति पर गौर करें तो हमारा राजनीतिक परिदृश्य एक ऐसे विषमतामय माहौल को प्रदर्शित करता है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी निराशाजनक है और वह क्षेत्र देश की व्यवस्थापिका का है जहाँ महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। तो दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं में 50 फीसदी आरक्षण मिलने से इनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है।

* शोधार्थी, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ. ग.) भारत
** विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, सेठ रतनचंद्र खुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ. ग.) भारत

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

भारतीय समाज में आज परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उनका सभी क्षेत्रों में मनोबल बढ़ा है। और वह घर की चार दीवारी लांघकर ग्रामसभा की बैठकों में भाग ले रही है। इनके ग्राम सभाओं में भाग लेने से जहां एक तरफ पर्दा प्रथा समाप्त हो रही है वहीं पुरूषों की महिलाओं पर प्रभावशीलता शनैः-शनैः कम हो रही है।[4] आज महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बन रही है। और यह सब स्थानीय स्तर पर आरक्षण व्यवस्था का कमाल है।

लेकिन यदि देखा जाए तो उच्च स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की नगण्यता एवं जागरूकता की कमी का मूल कारण महिला, निरक्षरता, गरीबी, माता-पिता का रूढ़ीवादी या कट्टरपंथी स्वाभाव, सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक अवरोध, दूरस्थ स्कूल, प्रोत्साहन की कमी और उदासीनता यह लड़कियों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ज्यादातर समय उनका ग्रहकार्य में ही व्यतीत हो जाता है।[6] इस आधार पर भारतीय संसद में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल जाने से भविष्य में उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।[7] अतः यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण से महिलाओं में राजनीतिक जागृति आयी है। पंचायत के माध्यम से वह स्व-सहायता समूह जैसे अनेक संगठनों का निर्माण कर वह अपनी आर्थिक दशा में धीरे-धीरे सुधार कर रही है। साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने लगी है। इस तरह यह उनमें परोक्ष एवं प्रत्यक्ष परिवर्तन 73 वां संविधान संसोधन द्वारा आरक्षण व्यवस्था की ही देन है।

पंचायती राज व्यवस्था

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची ग्यारहवीं अुनसूची जोड़ी गई है। इस भाग ग्रामों में ग्राम पंचायतों ने गठन, उनके निर्वाचन शक्तियों और उत्तर-दायित्वों के लिए पर्याप्त उपलब्ध किए गए हैं ग्रामसभा अनु. 243(क) यह उपबंधित करता है कि ग्रामसभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपबंध करें।

पंचायतों का गठन

अनु. 243(ख) यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।[1] जो इस प्रकार है-

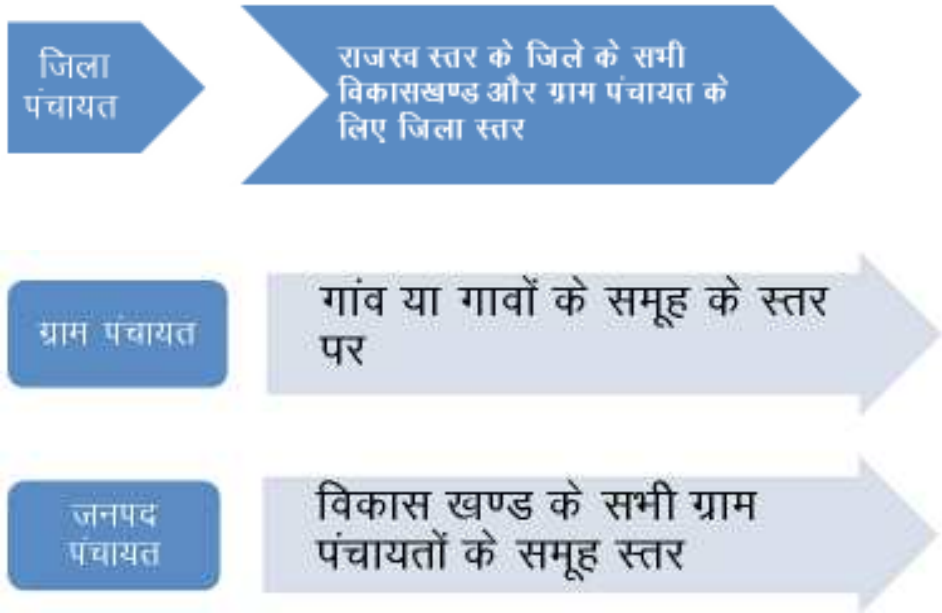

''पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की प्रक्रिया को मजबूत करना। तथा गांव में होने वाले फैसलों में गांवों के लोगों की भीगीदारी सुनिश्चित करना। यह व्यवस्था शासन तन्त्र को आम जनता के बीच ले जाती है।''[2] साथ ही समाज का जो वर्ग कमजोर है शोषित है तथा फैसलों से अनजान है उसे फैसले लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करती है। और आम जनता एवं तन्त्र की दूरी को समाज करती है।[3]

अतः पंचायती राज व्यवस्था को निम्न प्रवाह चित्र से समझा जा सकता है :

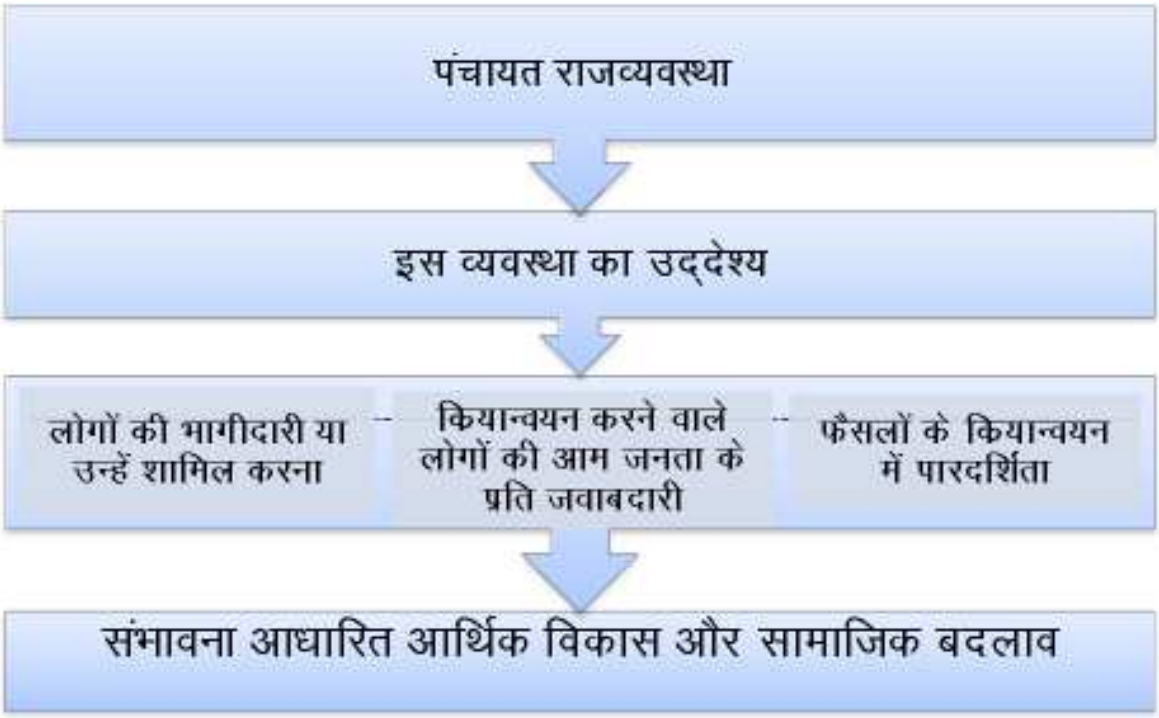

पंचायतों में आरक्षण

प्रजातन्त्र में सभी को बराबर का अवसर मिले इसके लिए जरूरी है कि सत्ता में भी सबकी भागीदारी बराबर हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग और महिला सभी की भागीदारी सत्ता में हो।

ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने तथा समाज की तरक्की में हाथ बटाने का मौका मिल सके। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण समाज से विकास और उत्थान की प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है तो समाज का उसके समग्र रूप में विकास सम्भव नहीं है। क्योंकि समाज के विकास का अर्थ उसके प्रत्येक हिस्से और वर्ग का विकास है। पंचायत राज अधिनियम, 1993 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा महिलाओं के लिए युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष तक विभिन्न स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ताकि इन वर्गों के सदस्यों को समाज के विकास की कोशिशों में शामिल किया जा सके तथा इन वर्गों को स्वयं के उत्थान के लिए विकास कार्यों से जुड़ने का मौका मिल सके।[4]

ग्राम पंचायतों में पंचों के पद के लिए आरक्षण

ग्राम पंचायत क्षेत्र की जन संख्या में अनुसूचित जाति व जनजाति में जो प्रतिशत है उसी अनुपात में ग्राम पंचायत के सदस्यों के पद अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित रखे गए हैं (धारा 13)। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत क्षेत्र की कुल जन संख्या 3000 है तथा उसमें निवास करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजातियों की जनसंख्या 30-30 प्रतिशत है तो ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से 30-30 प्रतिशत अर्थात कुल 60 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित किये जायेंगे जिनसे केवल इन्हीं वर्गों के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं।[5]

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण

पंचायत राज अधिनियम की धारा 13 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल मिलाकर आरक्षित जगहों की संख्या 50 प्रतिशत या उससे कम है तो कुल वर्गों की संख्या के 25 प्रतिशत स्थान (अ.पि. व.) के वर्गों के लिए आरक्षित होंगे।

लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या–

लोक सभा	1ली	2री	3री	4थी	5वी	6वी	7वी	8वी	9वी	10वी	11वी	12वी	13वी	14वी	15वीं
महिला सांसद	24	24	36	32	27	21	32	45	28	42	41	44	52	52	59

लोकसभा एवं राज्य सभा में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है 33 प्रतिशत सीटों के लिए राज्यसभा में आरक्षण बिल पास हो गया किन्तु लोकसभा में आरक्षण पारित होना बाकि है। अब तक की सभी 15 लोकसभाओं का एक विश्लेषण बताता है कि आजादी के बाद से अब तक संसद में महिला प्रतिनिधित्व 7 प्रतिशत से भी कम रहा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 65 सालों में अनेक लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8303 सांसदों में से महिला सांसदों की संख्या 559 रही जो कि कुल 68 प्रतिशत है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान 15वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अब तक सर्वाधिक है जो 59 (10.83 प्रतिशत) है सबसे कम महिला सांसदों की संख्या छठी लोकसभा में थी जो कि 21(3.77 प्रतिशत) थी। संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में पिछले 19 सालों में वृद्धि हुई है।

वर्तमान समय में देश की संसद एवं विधानसभाओं की 4896 सीटों पर केवल 400 महिलाएं हैं यदि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून बन जायेगा वो 1632 हो जाएगी जिससे उन्हें सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार लोकसभा में 543 सदस्यों में केवल 59 महिलाएं हैं जो बढ़कर 181 हो जाएगी। तथा राज्यसभा में 233 में से केवल 21 महिलाएं है जो बढ़कर 77 हो सकती है। महिलाओं के हाथ में सत्ता सौंप देने के बाद भारत दुनिया का पहला देश हो जाएगा जहां राजनीति में सबसे महिलाएं सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगी।

33 प्रतिशत कानून बन जाने के बाद महिलाओं की लोकसभा एवं कुछ विधान सभाओं में निम्नानुसार स्थिति बन सकती है।

क्रं.	प्रदेश	लोकसभा सीट	अभी सांसद	आरक्षण के पश्चात् सीटें	विधानसभा की सीटें	अभी विधायक	आरक्षण क बाद सीटें
1	मध्यप्रदेश	29	06	09	230	26	76
2	हरियाणा	10	02	03	90	09	30
3	हिमाचल प्रदेश	04	00	01	68	05	23

4	गुजरात	26	04	09	182	16	61
5	छत्तीसगढ़	11	02	04	90	10	30
6	दिल्ली	07	01	02	70	04	23
7	पंजाब	14	04	09	117	08	39

इससे लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी एवं राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में पहले से अधिक बल मिलेगा जिससे महिलाओं की राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सुधार आ सकता है। यदि महिला आरक्षण संबंधी मुद्दों की सही ढंग से समझा जाए तो पता चलेगा कि लोकसभा के हर स्तर पर महिला जनप्रतिनिधियों क संख्या काफी कम है। संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी का मौका तो मिला लेकिन निर्णय लेने संबंधी मुद्दे पर अभी तक उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति इसलिए वन पाई क्योंकि पुरूषवादी मानसिकता ने कभी उनको आगे लाने का काम नहीं किया है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता हैं कि महिला आरक्षण ही महिला सशक्तीकरण का एक पहलू हैं। संसद में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से वे देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था संसद मे अपनी समस्याओं को बेहतर तरिके से रखने में सक्षम होगी तथा समस्याओं का समाधान ढूंढकर स्वप्रगति के साथ देश की प्रगति का मार्ग की प्रशस्त करेगी। भेदभाव एवं उत्पीड़न से उन्हें मुक्त किया जा सके इसलिए संविधान में लिंग भेद को समाप्त किया एवं उन्हें सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक स्तर पर लाने के लिए अनेक प्रावधान किए। सामाजिक न्याय भी महिलओं को पुरूषों के समकक्ष लाने की अवधारणा पर आधारित हैं जिससे उन्हें सदियों से उपेक्षित जीवन जी रहें व्यवस्था से मुक्त किया जा सके। 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम से महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर भागीदार बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की प्रक्रिया को मजबूत करना। तथा गांव में होने वाले फसलों में गांवों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना 1 यह व्यवस्था शासन तंत्र को आम जनता के बीच लेे जाती हैं। साथ ही समाज का जो वर्ग कमजोर हैं, शोषित हैं तथा फैसलों से अनजान हैं इन्हें फैसलें लेने की प्रक्रिया में सम्मिलत करती हैं। प्रजातंत्र में सभी को बराबर का अवसर मिले इसके लिये जरूरी हैं कि सत्ता में भी सबकी भागीदारी बराबर हो इस बात को ध्यान में रखते हुये यह व्यवस्था की गई हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग ओर महिलाओं आदि सभी की भागीदारी सत्ता में हो यघापि भारत के गांवों की महिलाओं की स्थिति 67 वर्षों के बाद भी किसी से छिपी नहीं दो वक्त की रोटी कमाने में उनका सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता हैं गरीबी को शोषण अशिक्षा जैसे दुश्चक्र में फंसी महिलाऐं अपनी पहचान समाज के समक्ष नहीं बना पाते ऐसी स्थिति में शिक्षा को मजबूत करके अरक्षण के सहायता से उनको पुरूषों के समक्ष लाने में आरक्षण व्यवस्था वेहतर सिद्ध हो सकती हैं ।

सुझाव

1. 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लिये सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिये।
2. पुरूष मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है।
3. पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
4. अशिक्षा गरीबी तथा भेदभाव वाली व्यवस्था को समाप्त कर राजनीतिक गतिशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।
5. महिलाओं को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में आवश्य सम्मिलत करना चाहिये।

संदर्भ सूची

[1]गुप्ता राजेश कुमार -भारत में आरक्षण नीति, मानक पब्लिकेशन 2004, नई दिल्ली

[2]पाण्डेय जयनारायण -भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ एजेंसी 2011, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 576

[3]*म.प्र. में पंचायत राज व्यवस्था,* मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पृष्ठ संख्या 03

[4]पृष्ठ, वही

[5]*पंचायत राज एवं ग्रामीण स्वराज एक परिचय,* पृष्ठ संख्या 61

[6]*दैनिक भास्कर,* 10 मार्च 2010, पृष्ठ संख्या 02

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,10-15
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 19 अगस्त 2014

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रमोद कुमार यादव*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र का लेखक मैं *प्रमोद कुमार यादव* घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में यह बताया गया है कि बारहवी पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा को देश एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय बनाने तथा समाज के विभिन्न वर्गो में उच्च शिक्षा तक पहुँच की असमानताओं को दूर करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह उसी दशा में सम्भव है। जब उच्च शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों एवं इसके समक्ष विद्वमान चुनौतियों को दूर करते हुए इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा अवसर में वृद्धि की जाए। इस हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (RUSA) का सृजन किया गया है। राष्ट्रीय उच्च्तर शिक्षा अभियान सैद्धांतिक तौर पर भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों को दूर करके इसे घरेलू एवं विदेशी मानकों व आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।

प्रस्तावना

भारत में सर्वशिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान ने माध्यमिक शिक्षा के लिए सुनिश्चित तौर पर एक सुदृढ़ आधार तैयार किया लेकिन देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली पहुँच, गुणवत्ता, उपादेयता तथा श्रेष्ठता आदि सभी मानकों के मामले में स्तरीय नहीं है। कला, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, विधि संकायो के सामान्य पाठयक्रमों से स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले युवाओं की व्यावहारिक योग्यता रोजगार के अवसरों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान समय में भारत को जनांकिकीय लाभांश प्राप्त है। जो अगले पाँच दशकों तक प्राप्त होता रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ऑकलन है कि सन् 2020 तक भारत मे 20-24 वर्ष के आयु वर्ग 116 मिलियन कामगार होंगे, जबकि भारत के चिर प्रतिद्वन्दी चीन मे ऐसे

* सहायक अध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एस. आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) भारत

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

कामगार की संख्या 94 मिलियन होगी। आश्रित अनुपात भारत के सर्वथा अनुकुल है। एक आकलन के अनुसार सन् 2020 तक भारत की औसत आयु 29 वर्ष होगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (40 वर्ष) जापान (46 वर्ष) तथा यूरोप (47 वर्ष) के मुकाबले काफी कम होगी। सन् 2011 की जनगणना के अन्तिम आँकड़ो के अनुसार देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग में है। ऐसे में आवश्यकता केवल इस बात की है कि 20-24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार हो सके।

1. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य : बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (2016-17) सकल नामांकन पर अनुपात को बढ़ाकर 32 प्रतिशत के स्तर पर लाना इस योजना का एक समग्र एवं वृहत लक्ष्य है। भारत सरकार का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उनकी विद्यमान क्षमताओं को उच्चीकृत करना है, ताकि वे गतिवान, माँग संचालित गुणवत्ता के प्रति जागरूक, दक्ष, दूरदर्शी तथा आर्थिक व प्रौद्योगिकीय विकास के प्रति उत्साहपूर्वक अनुकूल हो सके। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है :

(i) यह सुनिश्चित करते हुए कि उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की सभी संस्थाएं प्रत्यायन को एक अनिवार्य गुणवत्ता, आश्वासन ढांचे तथा निर्धारित मानकों को अपनायेगी, विद्यमान राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ताओं में सुधार लाना।

(ii) राज्य स्तर पर नियोजन एवं अनुश्रवणन हेतु संस्थानिक ढांचा सुसाध्य तरीके से सृजित करके, राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायतता का प्रोन्नयन करके तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में परीक्षा सुधारों को लागू करके राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में रूपान्तरणकारी सुधार लाना।

(iii) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अकादमिक एवं परीक्षा सुधारों को सुनिश्चित करना।

(iv) कुछ विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय अनुसंसाधन विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करना।

(v) सम्बद्ध महाविद्यालयों की संसाधनजनित आवश्यकताओं को यथोचित तरीके से पूरा करने के लिए तथा सुधारों को सकारात्मक तरीके से लागू करने के लिए राज्यों द्वारा सम्बद्धता प्रणाली मे सुधार लाने हेतु अवसर सृजित करना।

(vi) सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तायुक्त पर्याप्त संकाय (प्राध्यापक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार के प्रत्येक स्तर पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।

(vii) उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान एवं अभिनवीकरणों के प्रति समर्पित करने के लिए एक समर्थकारी वातावरण तैयार करना।

(viii) विद्यमान शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता निर्माण द्वारा संस्थानिक आधार का विस्तार करना तथा नए संस्थानों की स्थापना करना ताकि नामांकन अनुपात के के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ix) शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थाओं तक पहुँच को बढ़ाने के लिए समर्थनकारी सुविधाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पहुँच बेहतर गुणवत्ता वाले संस्थानों तक सुनिश्चित करने के लिए अवसरों के सृजन तथा असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में नये संस्थानों की स्थापना करके उच्चशिक्षा में पहुँच से जुड़े क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना।

(x) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को पर्याप्त उच्च शिक्षा अवसर प्रदान कराकर, उच्चशिक्षा में क्षमता में सुधार लाना, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा अलग प्रकार के समर्थ व्यक्तियों को उच्चशिक्षा प्रणाली में समावेशित करना।

2. भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली का वर्तमान स्वरूप : भारतीय उच्चशिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएँ है :

(i) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (केन्द्र सरकर द्वारा वित्त पोषित)

(ii) राज्य विश्वविद्यालय (यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)

(iii) विश्वविद्यालयवत् संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) (केन्द्र, राज्य एवं निजी संसाधनों से वित्त पोषित)

(iv) निजी विश्वविद्यालय (निजी संसाधन से वित्त पोषित)

(v) महाविद्यालय (केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, निजी संसाधनों द्वारा वित्त पोषित)

31 मार्च 2013 को देश में 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 286 राज्य (सरकार) विश्वविद्यालय, 111 निजी विश्वविद्यालय, 129 डीम्ड विश्वविद्यालय, 35539 महाविद्यालय, 13507 तकनीकी (इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, होटल प्रबंधन) महाविद्यालय/ संस्थान तथा 200 दूरस्थ शिक्षा संस्थान कार्यरत् थे।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में 2011-12 में कुल 203.27 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। तकनीकी संस्थान में प्रवेश हेतु 22.37 लाख स्थान थे, 38.56 लाख विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा में, 23.02 लाख विद्यार्थी डिप्लोमा/ पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पंजीकृत थे।

3. उच्चशिक्षा प्रणाली की कमजोरियाँ : भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अग्रलिखित कमियों के दौर से गुजर रही है :

(i) उच्चशिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 19.4 प्रतिशत है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका मे 95 प्रतिशत, रूस मे 76 प्रतिशत, स्वीडन मे 74 प्रतिशत, अर्जेन्टाइना मे 71 प्रतिशत, यू.के. मे 59 प्रतिशत है।

(ii) अनुसूचित जाति (12.2 प्रतिशत), जनजातियाँ (9.7 प्रतिशत), अन्य पिछड़ी जातियाँ (18.7 प्रतिशत) मुसलमान (9.5 प्रतिशत) में सकल नामांकन अनुपात औसत से भी नीचे है।

(iii) पुरूषों के लिए सकल नामांकन अनुपात जहाँ 20.9 प्रतिशत है। वहीं महिलाओं के लिए 16.5 प्रतिशत है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता, सुविधाओं और संसाधन में भारी असमानताएँ हैं।

(v) विकसित राज्यों तथा पिछड़े राज्यों के शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं, संसाधनो में भारी अन्तर है।

4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के विशिष्ट बिन्दुः

(i) उच्चतर शिक्षा में सुधार एवं उन्नयन हेतु यह एक व्यापक योजना है। अन्य समस्त योजनाएँ इसके अन्तर्गत समाहित हो जाएँगी।

(ii) केन्द्र सरकार से वित्तपोषण, राज्यों के बजट के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उच्चतर शिक्षा में स्थापित तथा संचालित संस्थानों को मिलेगा।

(iii) वित्त पोषण राज्यों द्वारा प्रस्तुत उच्चतर शिक्षा आयोजन के क्रांतिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। राज्यों को ऐसी आयोजनाओं में समता, पहुँच तथा श्रेष्ठता से जुड़े मुद्दों के लिए कूटनीतियों का उल्लेख होगा।

(iv) प्रत्येक वित्त पोषण मानकों पर आधारित होगा तथा आगे का वित्तीयन उपलब्धियों पर आधारित होगा। कतिपय अकादमिक एवं प्रशासनिक वचनबद्धताएँ तथा प्रशासनिक सुधार इस योजना के अन्तर्गत निधि पाने के लिए पूर्व शर्ते होगी।

(v) वित्त पोषण में केन्द्र एवं राज्यों की सहभगिता 65:35 अनुपात में होगी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा पूर्वोतर राज्यों के लिए 90:10 अनुपात में होगा।

(vi) विद्यमानता शर्त के अधीन कतिपय निजी संस्थानों को भी 50:50 अनुपात में वित्तीय निधियॉ प्राप्त होगी।

5. अभियान का कार्यक्षेत्र : देश के समस्त राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के विश्वविद्यालय क्षेत्रों के विश्वविद्यालय अनुदान की धारा 2 (एफ) तथा 12 (बी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय एवं अर्हताओं को पूरा करने वाला धारा 2 (एफ) तथा 12 (बी) से अनाच्छादित राज्य विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय इस योजना के तहत् आच्छादित होंगे। अर्हता के सापेक्ष लगभग 306 राज्य विश्वविद्यालय तथा 8500 महाविद्यालय को इस योजना के तहत स्नातकों को रोजगारपरकता तथा सीखने के वातावरण में सुधार लाने, अनुसंधान, विकास और अभिनवीकरण को ऊँचा उठाने के लिए आच्छादित किया जाएगा। राजकोष से वित्त पोषित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय योजना के सभी संघटकों के अंतर्गत सहायता पाने के लिए अर्ह होंगे। वहीं निजी संस्थान अधोसंरचना सहायता सहित कुछ ही संघटकों के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकेंगे, जो 50:50 के अनुपात में होगी। प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक संगठन के लिए संस्थानिक विकास की योजना तैयार करनी होगी।

6. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ : राज्य संस्थानों को रणनीतिक वित्तीयन यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता एवं पहुँच जैसे मुद्दों को समतामूलक तरीकों से हल किया जाता है। इसके लिए राज्यों को राज्य उच्चतर शिक्षा योजना निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर तैयार करनी होगी :

(1) उचित मानचित्रणोपरान्त भौगोलिक एवं क्षेत्रीय नियोजन
(2) कार्यक्रम एवं अनुशासन आयोजना
(3) अनिवार्य प्रत्यायन एवं गुणवत्ता सुधार
(4) शासन एवं अकादमिक सुधार
(5) अधोसंरचना परिपूर्णता
(6) संबद्धता प्रणाली की पुनरीक्षा
(7) पारदर्शी एवं मानक आधारित वित्तीयन

(8) उपलब्धि आधारित प्रतिपूर्ति
(9) संकाय आयोजना
(10) समता हस्तक्षेप
(11) अनुसंधान एवं अभिनवीकरण पर ध्यान देना।

7. उच्च शिक्षा प्रणाली में स्वायत्तता का मुद्दा : उच्च शिक्षा की संवृद्धि एवं विकास हेतु स्वायत्तता का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता एवं जवाबदेही एक अपरिहार्य शर्त है। उच्च शिक्षा पर राधाकृष्णन आयोग (1948) कोठारी आयोग (1964-66), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005) तथा यशपाल समिति (2009) ने विश्वविद्यालयों को स्वायत्ताशासी निकाय बनाये जाने पर बल दिया है। उच्चतर शिक्षा अभियान में इस बात पर विशेष ध्यान दिये जाने का उल्लेख है कि राज्यसेवी संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की जाये। राज्य एवं इसके अंतर्गत संचालित संस्थान समता, पहुँच तथा श्रेष्ठता सुनिश्चित करते हुए स्वायत्तता के साथ कार्य करेंगे। स्वायत्तता का सिद्धांत मुख्य रूप से इस बात पर बल देता है कि अकादमिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को अपने तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाये तथा संस्थान अपना प्रशासन अपने स्वयं के नियमों एवं विनियमनों के अनुसार चलाये। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का रिसाव नीचे की ओर उसके विभिन्न विभागों में भी परिलक्षित होना चाहिए। वर्तमान में भारत के विश्वविद्यालय, संसद/ राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा पारित अधिनियमों में उल्लिखित उद्देश्यों, कार्यों, प्रशासनिक संरचना, विभिन्न स्तर के अधिकारियों की शक्तियों व कार्यों के अनुसार संचालित हो रहे हैं, जिनमें एक ठहराव और कठोरता है। स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इन अधिनियमों/परिनियमावलियों में बदलाव की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की विश्वविद्यालय की जवाबदेही से किसी भी स्तर पर और किसी भी रूप में अलग नहीं किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य और देश के भविष्य के प्रति जवाबदेह है। एक अन्य स्तर पर विश्वविद्यालय नवीन ज्ञान के सृजन तथा सत्य की स्थापना के प्रति जवाबदेह है। इसी स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को यथोचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए। स्वायत्तता के क्षेत्र निम्नलिखित होने चाहिए :

1. प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का चयन
2. प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नयन
3. पाठ्यक्रमों का निर्धारण
4. मूल्यांकन
5. अध्यापनकला
6. अनुसंधान के क्षेत्र
7. संसाधनों का उपयोग।

8. संबद्धता सुधार हेतु प्रमुख सुझाव : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रावधानों के तहत् राज्य सरकारों को अनिवार्यतः सम्बद्धता प्रणाली में सुधार लाना है, तभी वे इस योजना के तहत् निधियाँ पाने के लिए अर्ह होंगे। ये सुधार निम्नलिखित स्वरूप में हों :

(i) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या 100 हो। इसका अर्थ है कि महाविद्यालयों की वर्तमान संख्या के स्तर पर ही अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी।

(ii) विद्यमान विश्वविद्यालयों के मुख्यालय से अलग नये परिसर स्थापित किये जायें, ताकि वे उस क्षेत्र के महाविद्यालय से संबंधित समस्त अकादमिक एवं प्रशासनिक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बड़े स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित किया जाये।

(iv) संकुल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाये। इसके लिए एक ही क्षेत्र के 3-5 महाविद्यालयों को मिलाकर एक विश्वविद्यालय बना दिया जाय। महाविद्यालय विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में संचालित हो तथा इन विश्वविद्यालयों को डिग्री आदि प्रदान करने का अधिकार हो।

(v) छोटे-छोटे महाविद्यालयों को आपस में विलय करके एक बड़ा संस्थान बनाने के लिए प्रेरित किया जाये। इससे अंतर-विषयक तथा नवीन-विषयक पठन-पाठन को बढ़ावा मिलेगा।

(vi) जहाँ युवाओं की संख्या अधिक हो, वहाँ विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों की स्थापना की जाये। ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

(vii) नये महाविद्यालयों की स्थापना के मानक कठोर बनाये जाये। नये महाविद्यालयों की स्थापना राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के सघन मूल्यांकनोपरांत ही स्थापित किये जाये। ऐसे महाविद्यालयों की संबद्धता प्रदान करने के पूर्व राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् तथा विनियामक निकायों से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिये जाये।

(viii) राज्यों को एकल विषयक विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति न दी जाये। किसी भी विश्वविद्यालय की सार्थकता बहुविषयक होने पर ही होती है।

(ix) 25 वर्ष से अधिक संचालित सरकारी एवं अनुदानित महाविद्यालय जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से। ग्रेड प्राप्त कर चुके हों, को स्वायत्तशासी बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है। 50 वर्ष से संचालित ऐसे महाविद्यालयों को डिग्री प्रदान करने का भी अधिकार प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(x) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर दोगुना किया जाये।

(xi) राज्य सरकार से वित्त पोषित सरकारी एवं अनुदानित महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जायें।

9. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढाँचा :

(अ) राष्ट्रीय स्तर :

1. राष्ट्रीय उच्च्तर शिक्षा अभियान मिशन अधिकरण।
2. परियोजना अनुमोदन बोर्ड।
3. विशिष्ट उद्देश्यीय वाहन (CPU)।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में परियोजना निदेशक।

(ब) राज्य स्तर :

1. राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्
2. परियोजना निदेशक
3. तकनीकी सहायता समूह।

(स) संस्थान स्तर :

1. संचालक मण्डल
2. परियोजना अनुश्रवण इकाई

निष्कर्ष

राष्ट्रीय उच्च्तर शिक्षा अभियान (RUSA) सैद्धांतिक तौर पर भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों को दूर करके इसे घरेलू एवं विदेशी मानकों व आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है, लेकिन राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कमजोर स्थिति, अत्यधिक दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, परीक्षाफलों का समय से न निकल पाना, अंक-तालिकाओं में बड़े पैमाने की त्रुटियाँ, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का अति घटिया स्तर, स्ववित्त पोषित संस्थाओं के लाभ को अधिकतम करने की भावना से काम करना, बड़े पैमाने पर प्राध्यापकों के रिक्त पद, कमजोर एवं अपर्याप्त अधोसंरचना, कुलपतियों की नियुक्ति का राजनीतिकरण आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान खामोश है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

नितिन (13 नवम्बर 2013) -राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, वन इंडिया शिक्षा, 2 फरवरी, 2014

सिंह, एन. प्रेमचन्द्र (25 अक्टूबर 2013) -राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन राज्य उच्च शिक्षा के लिए एक वरदान

जम्प अप टू, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, 2 फरवरी 2014

सीसीईए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सामान्य ज्ञान आज, अक्टूबर, 2013

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाईट Ugc.ac.in.

परमार, राधा -फोकस, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2014, पृ. 75-78
समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, भिलाई-रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर, 2013
सुरेश पंडित -दिल्ली, समाचार पत्र, नवभारत, 9 जनवरी, 2014

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,20-25
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 30 जुलाई 2014

शिवमंगल सिंह "सुमन" के गीतों में समसामयिक चेतना

डॉ. आरती बंसल*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *शिवमंगल सिंह "सुमन" के गीतों में समसामयिक चेतना* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *आरती बंसल* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

कवि श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन' छायावादोत्तर काल के महत्त्वपूर्ण कवि हैं। उनके काव्य में भोगे हुए जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति मिलती है। प्रस्तुत शोध पत्र में 'सुमन' जी के गीतों का संक्षिप्त अध्ययन करके सुमन जी के गीतों में व्याप्त समसामयिक चेतना पर रोशनी डाली गई है।

कवि 'सुमन' जी का हृदय सामयिक समस्याओं के प्रति सजग रहा है। उन्हें किसी एक वाद या एक धारा का कवि नहीं कहा जा सकता। कवि ने अपनी कविताओं में देश की विविध राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। जैसे-2 परिवेश बदलते गये, कवि 'सुमन' के उन्मत्त मन की राग-भावना प्रकट हुई। अपनी रचना 'जीवन के गान' में कवि स्वयं उद्घोष करता है कि प्रणयानुभूति में डूबा उसका मन अब सामाजिक जीवन की ओर उन्मुख हो चला है तथा मानव जीवन के सुख-दुख की गाथा कहने वाले उसके जीवन के गान संसार को सुख-स्वर्ग बनाने के लिए उसके समान ही उतावले हो चले हैं, ''इनमें जीवन का वंदन भी/ इनमें जीवन का क्रंदन भी/ जग को सुख-स्वर्ग बनाने में यह भी/ मुझसे ही दीवाने/ यह मेरे जीवन के गाने।''

सुमन जी की कविताओं का सम्बन्ध सामाजिक जीवन से है। यथार्थ से पृथक होकर वह कल्पना के लोक में विचरण नही करता। सुमन जी की 'जीवन के गान', 'आलय सृजन' तथा 'विश्वास बढ़ता ही गया' रचनाएं सामाजिक भावना के चित्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रचनाएं हैं। कवि ने समाज के विविध पहलुओं को अपने गीतों में स्थान दिया है। ग्रामीण जनजीवन के रहन-सहन, खान-पान एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं का वर्णन इनके काव्य में मिलता है। किसानों एवं श्रमिक वर्ग की दयनीय अवस्था का यथार्थ चित्रण 'हाय नही यह देखा जाता', 'यह किसका कंकाल पडा है' आदि कविताओं में मिलता है। 'गुनिया का यौवन' कविता में तत्कालीन नारी की शोचनीय अवस्था का चित्र उभर कर सामने आता है। 'बे-घरबार' व 'आज देश की मिट्टी बोल उठी है' आदि कविताएं तत्कालीन महाजनी शोषण को उजागर करती हैं।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सी. एम. के. नेशनल पी. जी. गर्ल्ज़ कॉलेज सिरसा (हरियाणा) भारत। (सदस्य सम्पादक मण्डल)

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

राजनैतिक चेतना

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही देश में राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्रता से जोर पकड़ने लगे थे। सन् 1905 में बंग-विभाजन के विरूद्ध विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के अनेक प्रेरक परिणाम हुए। इस आंदोलन ने देश की जनता में पौरूष को जागृत किया। विदेशी माल का बहिष्कार करके ब्रिटिश जनता को भारतीयों ने दिखा दिया कि वे भी विद्रोह कर सकते हैं। परिणामतः यह आंदोलन गरीबों का हित साधक हो गया, जिससे अंग्रेज घबरा उठे। इसी समय जापान ने रूस पर विजय पा ली थी। एशिया के एक राष्ट्र द्वारा यूरोप के एक राष्ट्र पर विजय ने भारतीयों में जागृति पैदा कर दी। तदनन्तर ऐसे ही वातावरण में शिवमंगल सिंह 'सुमन' का जन्म हुआ। उनकी पहली रचना 'हिल्लोल' सन् 1939 में प्रकाशित हुई, जिसमें कवि की रोमानी प्रवृति का ही परिचय मिलता है। परन्तु उनकी परवर्ती रचनाएं देश की स्थिति का यथार्थ चित्रण करती हैं। देश में हुए विभिन्न आन्दोलनों एवं विद्रोहों का कवि ने चित्रण किया है। 1920 ई0 में गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1926 ई0 में क्रान्तिकारी आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा। सन् 1930 में 'नमक सत्याग्रह आन्दोलन' ने ज़ोर पकड़ा। उस समय सुमन जी नवीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तभी गांधी जी का प्रभाव उन पर पड़ा। मार्च 1931 में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी चढ़ा दिया गया। युवकों में यह प्रचारित हुआ कि गांधी जी की नरमी के कारण भगत सिंह को फांसी हुई, फलतः गांधी जी के विरूद्ध नारे लगे। ई0 सन् 1933 के करीब सुमन जी क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आए। वे चन्द्रशेखर आज़ाद की पार्टी में शामिल हो गये। इस प्रकार सुमन जी गांधी जी की अपेक्षा मार्क्स का समर्थन करने लगे। कवि 'सुमन' ने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है, ''मेरे अनगढ, भावुक युवा मन पर सबसे पहले गांधी जी का प्रभाव पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रभाव मेरी कवि चेतना का अंग बन कविता में उतरता, मुझे सशस्त्र क्रान्ति की लपटों ने विमोहित कर लिया। चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि की क्रान्तिकारी भावना से मेरा मन अभिभूत हो उठा। इसी समय मार्क्सवादी श्री रूस्तम सैटिन से सम्पर्क हुआ। उनके निरन्तर साहचर्य से मैं मार्क्सवादी धारा से अधिकाधिक प्रभावित होता गया। सशस्त्र क्रान्ति का मेरा मार्ग गांधी की अपेक्षा मार्क्स के अधिक पास था।'[1] कवि का यह क्रान्ति का भाव निम्न पंक्तियों से ही प्रकट होता है, ''यह क्रान्ति क्रान्ति की प्रतिध्वनि से/ क्यों गूंज उठी जगती सारी/ क्या सचमुच घर घर सुलग गयी/ नव-निर्माणों की चिनगारी।''[2]

पांच मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ। सन् 1934 में साम्यवादी प्रभाव की रोकथाम के लिए कांग्रेस ने भीतर ही भीतर एक समाजवादी दल बनाया। बाद में इस दल पर भी साम्यवादी प्रभाव बढ़ने लगा। इन्होंने साम्राज्यवाद के विरोध का प्रयत्न आरम्भ किया। '1 सितम्बर सन् 1939 को द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ, 3 सितम्बर को भारत को भी उसमें शामिल कर लिया गया। महायुद्ध समाप्त होते ही भारत, चीन, बर्मा, जावा, सुमात्रा, मलाया, इण्डोनेशिया, वियतनाम आदि एशिया भू-खंड के समस्त पद-दलित देशों में अनायास ही जन शक्ति के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। इस जन शक्ति का चित्रण करते हुए 'सुमन' जी ने 'नई आग है, नई आग है' शीर्षक कविता लिखी। कवि का कहना है कि सदियों से सोई हुई मानवता आज जाग उठी है, अतः अब सब पुरातन समाप्त होने का समय है, ''त्रस्त-ध्वस्त हो रहा पुरातन/ नया वेष है, नया साज है/ सदियों से सोई मानवता/ अंगड़ाई ले रही आज है।''[3]

22 जून 1941 को सोवियत जर्मन युद्ध प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में 'सुमन' जी ने 'सोवियत रूस के प्रति', 'दस हफ्ते दस साल बन गये' 'मास्को अब भी दूर है', 'लाल सेना का गीत' कविताएँ लिख कर अपनी समसामयिक चेतना का परिचय दिया। इस युद्ध में रूसी सैनिकों की वीरता तो अपना महत्त्व रखती ही है, देश की साधारण जनता भी एक जुट होकर बलिवेदी पर चढ़ने के लिए होड़ सी करने लगी थी। जिसका सुन्दर चित्रण कवि के शब्दों में देखिए कितना प्रभावशाली बन पड़ा है, ''कदम कदम पर अगणित शीशों/ ने निज भेंट चढ़ाई/ एक एक नारी रण-चण्डी/ का स्वरूप धर आई/ बलिवेदी पर नर-नारीगण/ लगे होड़ सी करने/ मानवता के लिए आज/ पहले दो मुझको मरने।''[4]

तत्पश्चात् साम्राज्यवाद का अन्त हुआ उसका चित्रण भी कवि ने इन कविताओं में किया है। सन् 1946 के नाविक विद्रोह ने देशवासियों को बता दिया कि आज़ादी की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। उसी नाविक विद्रोह के प्रचण्ड क्रान्तिकारी ओजस्वी स्वरूप से प्रभावित होकर 'सुमन' जी ने 'आज देश की मिट्टी बोल उठी है' कविता लिखी।

कवि अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहता है कि अब जनता जागृत हो चुकी है, तथा अब वह किसी भी तरह हमारे देश में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते, ''आज खून के लिए खून/ गोली का उत्तर गोली/ हस्ती चाहे मिटे/ न बदलेगी बेबस की बोली।''[5]

हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी तत्कालीन समय की प्रमुख समस्याओं में थे। 'मेरा देश जल रहा है कोई नहीं बुझाने वाला' शीर्षक कविता इन्हीं दंगों से प्रेरित होकर रची गई।

आज़ादी के पश्चात् गांधी जी की मृत्यु देश में एक ऐसी घटना थी जिससे सारा हिन्दुस्तान अचानक शोक के गहरे सागर में डूब गया। गांधी जी से प्रभावित होकर 'सुमन' जी ने 'पर आँखें भरीं-भरीं' उपशीर्षक के अन्तर्गत छः कविताएँ लिखी। गांधी जी पर गोली चलाने वाले का नाम लेना श्री सुमन जी को अपनी वाणी को विकृत करना प्रतीत होता है। इससे उनका गांधी जी के प्रति विशेष सम्मान भाव प्रकट होता है, ''मैं नाम नहीं लूंगा उसका/ वाणी कलुषित हो जाएगी,/ लेखनी मुझको धिक्कारेगी/ जिह्वा कट कर गिर जाएगी।''[6]

गांधी जी के अतिरिक्त नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, पुश्किन, लेनिन आदि नेताओं पर रचित सुमन जी की विविध कविताएँ उनकी राजनैतिक चेतना को ही उजागर करती हैं।

आज़ादी के पश्चात् समस्त नेतागण अपने-2 स्वार्थों को सिद्ध करने में जुट गये। वोट मांगने के समय जनता से किए बड़े-2 वादे कुर्सी पाते ही भूल जाने लगे। स्वार्थलोलुप नेताओं की राजनीति पर व्यंग्य करते हुए कवि कहता है, ''वेश्या सी राजनीति बैठ गई कोठों पर/ सत्य हरिश्चन्द्र बिके मरघट के वोटों पर।''[7]

जिन जवाहर लाल नेहरू जी की प्रशस्ति में कवि ने कई कविताएँ लिखी वही जवाहर लाल अब जनता से कुछ दूर हो गये तो 'सुमन' जी ने उन्हें कविता के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह बात कह सुनाई, ''दुनिया बदल गई है/ सुनते हैं तुम भी अब बदल गये हो/ सड़ी व्यवस्था के अन्दर/ फिर भी लगते कुछ नये नये हो।''[8]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीति के दृष्टि कोण से कवि सुमन जी सदैव सजग रहे हैं।

सामाजिक चेतना

बीसवीं शताब्दी के पूवार्द्ध में समाज की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। स्त्रियों और शूद्रों का स्थान दासों और गुलामों के समान था। 'सन् 1932 से 1939 तक अनेक हड़तालों का आयोजन किया गया। जिनमें बहुत से मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस प्रकार साम्राज्यवाद विरोधी चिन्तन तथा आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।[9] इन सब परिस्थितियों ने कवि मानस को भी प्रभावित किया। नारी की शोचनीय स्थिति का चित्रण करते हुए कवि ने 'गुनिया का यौवन' कविता लिखी। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि परवशता के कारण भारत की हजारों गुनिया दो ही दिन में बूढ़ी दिखाई देने लगती हैं जैसे उसकी आयु की ही गुनिया तीन वर्ष के अन्तराल में ही बूढ़ी दिखाई देने लगी थी, ''पर यह गुनिया, समवयस हुई/ दो ही दिन में इतनी जर्जर/ किसने इस हरे भरे उपवन को/ आह बना डाला ऊसर।''[10]

इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक दंगे, बंगाल का अकाल, आदि घटनाओं ने भी कवि को प्रभावित किया। सन् 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसमें लाखों आदमी भूखों मरे। कवि इस अकाल का दायित्व जमाखोरों पर तथा सरकार पर मानता है। सरकार पर वह व्यंग्य करते हुए कहता है कि हमारी सरकार यदि मजदूरों और मजलूमों की सहायक होती तो क्या ये मुनाफाखोर यों कोठारों में माल भर कर रख सकते थे। परन्तु अब तो वह इतने स्वार्थी हो गये कि बच्चों की लाशों पर पूंजी का व्यापार करते हैं, ''तो क्या कभी मुनाफाखोरों/ की यह चलती चाल?/ मरते लोग सड़ा करता यों/ कोठारों में माल?''[11]

ग्रामीण ही नहीं शहरी जीवन भी अस्त-व्यस्त था। जमींदार-कृषक तथा उद्योगपति-श्रमिक आदि वर्ग बंटे हुए थे। कृषकों और मजदूरों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी। कवि ने इनकी शोचनीय अवस्था का यथार्थ चित्रण किया है कि भवन बनाने वालों के पास रहने को घर नहीं था, और अन्न उगाने वालों के बच्चे ही दाने-दाने को तरस रहे थे, ''भवन बनाने वालों का / अपना कोई घरबार नहीं था,/ कहाँ मुग्ध-अभिसार कि/ जिनको जीने का अधिकार नहीं था,/ अन्न उगाने वालों के बेटे/ दानों को तरस रहे थे/ खाली पेट दिखाने पर/ ओले गोली बम बरस रहे थे।''[12]

आज़ादी के दो दशक बीत जाने के पश्चात् भी देश में गरीबी को दूर करके समानता को लाने का सपना सपना ही रह गया। जिस रामराज्य का सपना गांधी जी ने देखा था वह आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। जिसका चित्रण करते हुए कवि कहता है, ''अब तो आजादी मिले दशक दो बीत चले..../ अब भी क्या राम राज्य सपना का सपना हे...../ क्या अभी पेट भर रोटी हमें नसीब नहीं..../ क्या ग्राम-नगर में डगर-डगर भिखमंगे हैं।''[13]

औद्योगिक विकास के कारण सामाजिक सम्बन्धों में भी बदलाव आने लगा। धनी और धनी तथा गरीब और गरीब होते चले गये। इस प्रकार विषमता की स्थिति जटिलतर होती गयी तथा अपने स्वार्थ में अन्धे होकर लोग अपनों से भी प्रेम व्यवहार करना भूल गये, ''समय के साथ-साथ स्वप्न हुए सपने भी/ गैर तो गैर ही थे, गैर हुए अपने भी/ नाम समता के सभी स्वार्थ समासीन हुए/ धनी धनी हुए तो दीन और दीन हुए।''[14]

इनके अतिरिक्त कवि ने '1975 का अकाल' पोखरन का बम विस्फोट, बंगला देश की विजय आदि का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया है, ''बड़ी-बड़ी घटनाएँ/ घट रही हैं देश में/ बँगला देश की विजय/ अणुविस्फोट पोखरन का,

संयुक्त परिवार व्यवस्था तो अब समाप्त हो चली थी। घर के बंटवारे के लिए आज भाई ही भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। 'हिन्दू मुस्लिम दंगों की रक्त स्नात विभीषिका से व्यग्र होकर रचित कविता 'मेरा देश जल रहा है, कोई नहीं बुझाने वाला' इसी सत्य को उजागर करती है, ''भाई की गर्दन पर/ भाई का तन गया दुधारा/ सब झगड़े की जड़ है/ पुरखों के घर का बंटवारा।''[15]

इस प्रकार 'सुमन' जी ने समाज में व्याप्त विषमता, मजदूरों, किसानों व नारी की शोचनीय स्थिति, अकाल की स्थिति, स्वार्थ लोलुप सरकार एवं पूंजीपतियों आदि का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। अतः हम कह सकते हैं कि कवि सुमन का हृदय राजनीति के साथ-2 समाज की स्थिति के प्रति भी सजग एवं संवेदनशील है।

आर्थिक चेतना

हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है निर्धनता। अंग्रेजों के आने पर हमारे देश में कुटीर-उद्योग भी चौपट हो गये। राज्य-करों तथा जमीदारों के अनाचारों ने मजदूरों एवं किसानों की कमर तोड़ दी। पूंजीवादी और सामन्तवादी वर्ग शोषक एवं साम्राज्यवादी शक्तियों को शरण दे रहा था। सन् 1929 की भयानक आर्थिक मंदी ने देश की नींव हिला दी। इसके पश्चात् सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया, जिससे जीवन की आवश्यकता की वस्तुएँ- तेल, नून, कोयला, कपड़ा, अनाज गोदामों में छिप गया। मुनाफाखोरों की इस शोषण नीति का कवि 'सुमन' ने व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। कवि का कहना है कि पूंजीवादी समाज के जुल्मों के कारण निम्न वर्ग तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त केवल एक भूख की ही बात करता है। वह एक रात भी चैन से नहीं सो पाता, ''थे पूंजीवादी समाज के/ जुल्मों के अवशेष...../ पैदा होने से मरने तक/ एक भूख की बात/ कभी चैन से सोते ऐसी/ कहाँ एक भी रात।''[16]

ई0 स0 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप गेहूँ, कपास, चावल, जूट आदि के उपभोक्ता देश ही भारत को मिल पाए। समस्त उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान को मिले। फलतः देश की आर्थिक स्थिति सुधरने की अपेक्षा और भी अधिक बिगड़ गई। तथा जो योजनाएँ इस स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई उसका लाभ केवल एक विशेष वर्ग को ही हुआ। अतः अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते चले गये। कवि 'सुमन' जी ने देश की इस स्थिति का वर्णन करते हुए 'मैं समझा था मर गया, अभी तो जिंदा हूँ' शीर्षक कविता में लिखा कि दिन-प्रतिदिन की बढ़ती हुई मंहगाई में ही जीवन का रस रिसता जा रहा है। अब सटोरिए में और बंदे (इंसान) में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। मानव-मानव में अब सौहार्द की भावना नहीं रही। खेतों से लेकर बाज़ार तक पहुँचने में फसल न जाने कौन चट कर जाता है? और आज़ादी के बाद भी हमारा राष्ट्र भिखमंगों सा जीवन जीने को मजबूर है। समता, स्वतन्त्रता जैसी भावनाएँ तो दर-दर हाहाकार करती हुई दिखाई देती हैं, ''खलिहानों से घर, घर से हाट पहुँचने में/ फसल को कोई डाइन चट कर जाती हो/ आज़ाद राष्ट्र दुनियाँ भर का भिखमंगा हो/ समता, स्वतन्त्रता दर-दर हा-हा खाती हो।''[17]

अतः सुमन जी ने आज़ादी से पहले तथा आज़ादी के बाद की आर्थिक शोषण व जनता की दुर्व्यवस्था का चित्रण भी अपने काव्य में भरपूर किया है।

साहित्यिक चेतना

'सुमन' जी ने कुछ कविताएँ साहित्यकारों की जयन्तियों एवं जन्मदिवस पर लिखी हैं। कवि ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, निराला आदि के प्रति विशेष सम्मान प्रकट किया। स्वर्गीय 'प्रेमचन्द जी के प्रति' तथा 'मेरे कथाकार' में कवि प्रेमचन्द को नवयुग के संघर्षों का प्रतीक मानता है। प्रेमचन्द जी की कृतियों में मातृभूमि की मिट्टी की सुगंध मिलती है। ऐसा कहकर कवि ने प्रेमचन्द जी के प्रति विशेष आस्था भाव प्रकट किया है, ''तुम श्रमिक-वर्ग के श्रम सजीव/ नवयुग संघर्षों के प्रतीक/ किस ओर प्रगति का पथ प्रशस्त/ तुम दिखा गए हो अमर-लीक।''[18]

'युगान्तरकारी कवि के रूप में निराला की प्रशंसा करते हुए कवि ने 'युगान्तरकारी कवि निराला के प्रति' शीर्षक कविता लिखी। 'प्रसाद' जी के आकस्मिक निधन पर 'सुमन' जी ने 'हा प्रसाद!' शीर्षक कविता लिखी। जिसमें प्रसाद जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए कवि ने लिखा कि असमय ही यह कैसा दुःख भार है?

राष्ट्रीय चेतना

सन् 1933 के आस पास कवि सुमन जी क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आए। तत्कालीन समय में देश में स्वाधीनता आन्दोलन तेजी से ज़ोर पकड़ रहे थे। अतः सुमन जी ने भारतीयों में नयी स्फूर्ति, नयी उत्तेजना पैदा करने के लिए राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत कविताएँ रची। कवि सुमन जी अपनी कविताओं के विषय में विचार प्रकट करते हुए स्वयं कहते हैं कि 'मैं प्रगतिवादी रचनाओं को सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय मानता हूँ। प्रगतिवाद का लक्ष्य बिना किलौलपेट के राष्ट्र-कल्याण और लोक-कल्याण था।'[19] कवि जनता का आह्वान करते हुए कहता है कि आज स्वतन्त्रता का संदेशा घर-2 पहुँच चुका है, तथा अब परीक्षा का अवसर आ चुका है। सदियों से हम जिस दासत्व और अपमान को झेलते आ रहे हैं, उसे आज समाप्त करने का समय आ पहुँच है। कवि जनता से कहता है कि युद्ध भूमि में कुहराम मचाने के लिए तथा धरती माता की लाज बचाने के लिए तुम सब एक जुट होकर तैयार हो जाओ, ''आओ, उठो, चलो जल्दी/ समरांगण में कुहराम मचाने/ पीकर जिसका दूध खड़े हैं/ उस माता की लाज बचाने/ वह देखो लग रहा समर में आज शहीदों का मेला है।''[20]

कवि देश के नवयुवकों को भी युद्ध के लिए तैयार रहने का सन्देश देता है। उसका कहना है कि जब युगों-2 से पीड़ित मानवता सुख की साँसे ले रही होगी तथा कातिलों की तोपों का सामना करने के लिए नवयुवक अपनी छाती तान कर खड़े हो जाएँगे तभी मैं समझूंगा कि बसन्त आ गया है, ''जब सजी बसन्ती बाने में/ बहनें जौहर गाती होंगी/ कातिल की तोपें उधर/ इधर नव युवकों की छाती होगी/ तब समझूँगा आया बसन्त।''[21]

उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुमन जी अपने समय की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से अत्यधिक आभावित हुए। राष्ट्र की गुलामी एवं परतन्त्रता विरोधी आन्दोलनों ने भी कवि के मानस पटल को झकझोर कर रख दिया। तथापि तत्कालीन साहित्य एवं साहित्यकारों से वे अनभिज्ञ नहीं हैं। बल्कि उस समय के साहित्य पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समय के प्रत्येक पहलू को कवि ने अनुभव करके अपने काव्य में उचित स्थान दिया है।

Endnotes

[1]सुमन समग्र-2; वक्तव्य के घेराव में; शिवमंगल सिंह 'सुमन', पृष्ठ संख्या 6-7

[2]सुमन समग्र-1 'हिल्लोल'- जागरण, पृष्ठ संख्या 76

[3]सुमन समग्र-1 'विश्वास बढ़ता ही गया', नई आग है, नई आग है, पृष्ठ संख्या 232

[4]वही, प्रलय- सृजन; मॉस्को अब भी दूर है, पृष्ठ संख्या 199

[5]सुमन समग्र-1 'विश्वास बढ़ता ही गया, आज देश की मिट्टी....., पृष्ठ संख्या 247

[6]वही, पर आँखें नही भरी; महात्मा जी के महा निर्वाण पर, पृष्ठ संख्या 359

[7]सुमन समग्र-2 'वाणी की व्यथा; नये गीत लिखने की आदत.....,पृष्ठ संख्या 246
[8]सुमन समग्र-2 'कटे अंगूठों की बन्दनवारें'; मेरा वीर जवाहर...., पृष्ठ संख्या 329
[9]कवि श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन' और उनका काव्य, डॉ0 के0 जी0 कदम, पृष्ठ संख्या 22
[10]सुमन समग्र-1 'प्रलय-सृजन; गुनिया का यौवन, पृष्ठ संख्या 168
[11]सुमन समग्र-1 'प्रलय-सृजन; कलकत्ते का अकाल, पृष्ठ संख्या 210
[12]वही 'विश्वास बढ़ता ही गया', इन गीतों के लिए तुम्हारा...., पृष्ठ संख्या 280
[13]सुमन समग्र-2 'मिट्टी की बारात', मैं समझा था मर गया.....,पृष्ठ संख्या 208
[14]सुमन समग्र-2 'मिट्टी की बारात' जरा मशाल जलाओ.....,पृष्ठ संख्या 213
[15]सुमन समग्र-1 'विश्वास बढ़ता ही गया, पृष्ठ संख्या 253
[16]सुमन समग्र-1 'प्रलय-सृजन', कलकत्ते का अकाल,पृष्ठ संख्या 207
[17]सुमन समग्र-2 'मिट्टी की बारात', पृष्ठ संख्या 208
[18]सुमन समग्र-1 'विश्वास बढ़ता ही गया', स्वर्गीय प्रेमचन्द के प्रति, पृष्ठ संख्या 257
[19]सुमन समग्र-1 'वक्तव्य के घेराव में'; डॉ0 शिवमंगल सिंह 'सुमन', पृष्ठ संख्या 7
[20]सुमन समग्र-1 'जीवन के गान', यह तो विप्लव की बेला है, पृष्ठ संख्या 94
[21]वही, तब समझूंगा आया बसन्त, पृष्ठ संख्या 131

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,26-29
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 21 अगस्त 2014

स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में नारी

अम्बा शुक्ला* एवं प्रभा कौशिक**

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में नारी* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र की लेखक *अम्बा शुक्ला एवं प्रभा कौशिक* घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

शोध सार

स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य का नारी में वैयक्तिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी के बाद बदली हुई परिस्थितियों ने समाज का ढांचा तो बदला ही, साथ में नारी की उलझनों को भी बढ़ाया, उसकी जीवन-पद्धति, उसके जीवन-मूल्य, उसी मनः स्थिति को भी तेजी से बदल डाला। नारी में अंधानुकरण के स्थान पर तार्किक बुद्धि का उदय हुआ। जिससे उसने स्वयं के जीवन में विविध पहलुओं को उकेरा। स्त्री की नई चेतना दृष्टि ने उसे आर्थिक, सामाजिक स्तर पर भी मजबूत बनने की प्रेरणा दी।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश की मान्यताओं में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। इससे न केवल व्यवस्था में परिवर्तन हुआ वरन् मूल्यों का संक्रमण भी अधिक तीव्रता के साथ हुआ, जिससे विचार और चिन्तन के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित हुए। आजादी के बाद कथा-साहित्य में नारी-चेतना से प्रेरित कथा-सृजन को यथोचित स्थान दिया गया है। इस नए भाव-बोध से उत्प्रेरित साहित्य की रचना में, सबसे महत्वपूर्ण हाँथ नारी-चेतना का रहा है।

स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य का नारी के वैयक्तिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। स्वातंत्र्योत्तर कथा-लेखकों ने मध्यवर्ग की नारी को कहानी का विषय बनाया इसलिए कथा-साहित्य में नारी के अंतर्मन, वृत्तियों, प्रवृत्तियों एवं रुचियों की यथार्थ अभिव्यक्ति मिलती है। आजादी ने नारी की स्थिति एवं उसके व्यक्तित्व विकास को एक नया मोड़ दिया है। पुरुष के समान स्त्री के लिए अधिकारों की घोषणा हुई, लेकिन स्थिति बहुत नहीं सुधरी। इस युग के हिंदी कथा-साहित्य में प्रेम, विवाह, स्त्री-पुरुष के टूटते संबंधों की पृष्ठभूमि में जितनी कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए, उतना पहले कभी नहीं लिखा गया।

स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में नारी मूल्य-बोध के परिवर्तन के फलस्वरूप कहीं वह बदली, कहीं उसी बिन्दु पर जकड़ी रही और कहीं उसने नव बिन्दुओं का निर्माण किया। यही कहा जा सकता है कि आजादी के बाद कथा-साहित्य में नारी का बहुआयामी

* गवर्नमेंट डी. बी. गर्ल्ज़ पी. जी. ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर (छ. ग.) भारत
** गवर्नमेंट डी. बी. गर्ल्ज़ पी. जी. ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर (छ. ग.) भारत

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

स्वरूप उजागर हुआ। आजादी के बाद बदली हुई परिस्थितियों ने समाज का ढाँचा तो बदला ही, साथ में नारी की उलझनों को भी बढ़ाया, उसकी जीवन-पद्धति, उसके जीवन-मूल्य, उसकी मनःस्थिति को भी तेजी से बदल डाला। परिणाम यह हुआ कि आजादी ने 'व्यक्तिवाद' को जन्म दिया, नारी अस्तित्व के नए प्रतिमानों की खोज हुई। नारी ने भी अपने अस्तित्व की पहचान शुरू की। नारी में अंधानुकरण के स्थान पर तार्किक बुद्धि का उदय हुआ। प्राचीन भावभूमि से नवीन भावभूमि में प्रवेश करने पर नए दबाव, टूटते व्यक्ति समाज और परिवार का सबसे अधिक बोझ भी नारी को ही ढोना पड़ा। कहानी हो या उपन्यास दोनों में जीवन की ही अभिव्यक्ति है। स्वातंत्र्योत्तर युग के कथा-साहित्य में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, उनमें सामाजिक कथा-सूत्रों पर आधारित प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं, जिनमें नारी-मन के अनेक सूक्ष्म पहलुओं, भाव-भंगिमाओं, संवेदनाओं, जीवनगत अनुभूतियों, पीड़ा एवं घुटन आदि की नई अभिव्यंजना हुई।

सामाजिक स्थिति

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में लड़के-लड़कियों का भेदभाव पारिवारिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है। मृणाल पाण्डे ने अपने 'देवी' उपन्यास में परिवार और समाज में लड़कियों संबंधी मानसिकता को उजागर करते हुए लिखा है, ''यदि बेटा हुआ हो, तो सौरी घर के द्वार पर नवजात शिशु और उसकी माँ को राहु जैसे पाप-ग्रहों और मातृकाओं की उग्रता से बचाने के लिए टोंटके के रूप में एक धनुष-बाण टॉग दिया जाता.....। बालक ज्यादा अनमोल जो होने वाले हुए, सो बालक को कष्ट पाता देख घर वालों को ज्यादा कष्ट होने वाला हुआ। बालिकाओं का क्या? उनकी ओर तो मातृकाएँ भी नहीं देखने वाली हुईं, तभी झपाझप सिसूण (एक घाँस) की झॉप, खरपतवार जैसी बढ़ने वाली हुई लड़कियाँ।''[1] इसी प्रकार लड़कियों की सामाजिक स्थिति को बताते हुए वे कहती हैं, ''हमारे न चाहते हुए भी कई सामाजिक दबाव बड़े नामालूम ढंग से धकियाकर हमें अहर्निश चपटा, दब्बू, कातर और मौन बनाने में जुटे हुए हैं। हर कहीं उच्च शिक्षा की गंभीर दुनिया से हमें काटा जा रहा है (बहुत पढ़कर क्या करोगी? रोटी ही तो बेलना है, दाल ही तो उबालना है? वर ढूँढ़ना कठिन होता है बहुत पक्की पौढ़ी के लिए)।''[2] नारी की दासता की शुरुआत यहीं से प्रारंभ होती है।

सामाजिक कुसंस्कारों ने नारी के रूप को इतना अधिक विकृत कर दिया है कि कोई भी भारतीय लड़की का प्रसव सहन नहीं कर सकता। नारी को अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए पुरुष किसी भी हद तक चला जाता है। ममता कालिया के उपन्यास 'बेघर' की संजीवनी को परमजीत भोगकर छोड़ देता है। शिवानी की 'भैरवी अपने पति की दूसरी शादी से हतप्रभ रह जाती है। मेहरून्निसा परवेज़ की तालिया अपने पति से उपेक्षित होती है। अमृतलाल नागर की निर्गुणिया समाज में नारी की स्थिति और पुरुष के दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यक्त करती है, ''दुनिया में दो पुराने-से-पुराने गुलाम हैं- एक भंगी और दूसरी औरत।''[3] वहीं माधवी का कथन है, ''पुरुष जाति के स्वार्थ और दंभ भरी मूर्खता से ही सारे पापों का जन्म होता है। इसके स्वार्थ के कारण ही उसका अर्धांग, नारी जाति पीड़ित है। एकांगी दृष्टिकोण से सोचने के कारण ही पुरुष न तो स्त्री को सती बनाकर ही सुखी कर सका और न वेश्या बनाकर।''[4]

'झूठा सच' की 'कनक' की वेदना है, ''पुरुष दूसरे पुरुषों से सेवा चाहते हैं, उनके श्रम से लाभ उठाते हैं, रिश्वत चाहते हैं, परन्तु स्त्री का केवल निरादर करना चाहते हैं।''[5] शिवानी के उपन्यास 'श्मशान चम्पा' की डॉ. शीला पुरुष वासना का शिकार बनती है और आत्महत्या कर लेती है। दूसरी पात्र मिनी भी इसी वासना का शिकार होती है। इसी प्रकार 'कब तक पुकारूँ' की 'धूपो' और 'सूसन' भी पुरुष की पाशविकता का शिकार होती हैं। राही मासूम रज़ा का 'आधा गाँव' उपन्यास पुरुष की वासनात्मक मनोवृत्तियों का नग्न चित्रण करता है।

वास्तव में स्त्री की स्थिति को समाज का विकास नापने का मापदण्ड कहा जा सकता है। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियों' में कहा है, ''नितांत बर्बर समाज में स्त्री पर पुरुष वैसा ही अधिकार रखता है, जैसा वह अपनी स्थावर संपत्ति पर रखने को स्वतंत्र है।''[6] 'चितकोबरा' की 'मनु' इसी प्रकार अपने पति के लिए इस्तेमाल की वस्तु है। 'डार से बिछुड़ी' की पाशो अपनी माँ से बिछुड़ जाने के पश्चात् दर-दर की ठोकरे खाती है। एक अधेड़ व्यक्ति से विवाह कर, फिर विधवा होने के पश्चात् अपने ही भाई की वासना का शिकार बनती है। स्त्रियों की ये स्थिति आज भी यथावत है।

कमलेश्वर का यह कथन सत्य है, ''जो संस्कृति नारी को मित्र न मानकर भोग्या माने वो इतिहास में किसी अच्छी परंपरा और संस्कारों का निर्माण नहीं कर सकती।''[5] नारी-जीवन की अनेक समस्याओं, जटिलताओं तथा विषमताओं को स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में उभारा गया है। आधुनिक युग के बदलते संदर्भों एवं नारी-उत्थान की नव-चेतना को स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में पर्याप्त स्थान मिला है, पर नारी-जीवन आज भी उतना ही त्रासद है। हमारे समाचार-पत्र और आस-पास का वातावरण इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। एक ओर नारी स्वातंत्र्य की आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, तो दूसरी ओर नारी अत्याचार बढ़ रहे हैं।

आर्थिक स्थिति

हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्रों में पुरुषों की भागीदारी अधिक थी। उत्पादन के साधनों पर पुरुष का एकाधिकार था। नारी, शिक्षा के अभाव के कारण स्वावलंबन की दिशा की ओर अग्रसर नहीं थी, परिणामतः नारियों को आर्थिक रूप से पुरुष के ऊपर निर्भर होना पड़ा। परिस्थितियों में हुए बदलाव से महिलाएँ स्वावलंबन की ओर अग्रसर तो हुई, किंतु उन्हें बाह्य जगत में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हीं स्थितियों का वर्णन स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में दिखाई देता है। 'चौथी मुट्ठी' (शैलेश मटियानी) की 'मोतिया मस्तानी' अपने बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी करती है। आर्थिक स्थितियाँ ही नारी को वेश्यावृत्ति के लिए मज़बूर करती है। 'बूँद और समुद्र' (अमृतलाल नागर) में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र न होने की स्थिति में नारी के कष्टों का वर्णन है। बेघर होने से बचने के लिए 'कोरजा' (मेहरून्निसा परवेज़) की 'साजो खाला' को 'जुम्मन' के हाँथों अपना शरीर बेचने पर मज़बूर होना पड़ता है। आर्थिक विषमता से त्रस्त नारी का चित्रण 'घरौंदे' उपन्यास में इस तरह किया गया है, ''घर की बेजान चीज़ों की स्वामिनी और जीवित मनुष्यों की दासी। आर्थिक परतंत्रता से उसे बाँध दिया गया था। क्या जीवन है, जब अपने पर नहीं दूसरों पर गर्व किया जाए? ज़िंदा रहना क्या कोई बात है? कुत्ता जंजीर से बाँधकर भूखा रखा जाए तो वह कैसा भी मांस खा सकता है।''[8]

कृष्णा सोबती और निरूपमा सेवती की कहानियों की नौकरीपेशा नारी प्रलोभन के लिए विभिन्न पुरुषों से संपर्क जोड़ती है। आर्थिक दबाव के कारण नौकरी भी नारी की मज़बूरी बन गयी है। आज पिता भी कमाने वाली बेटी की नैतिकता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाता। गिरिराज किशोर की कहानी 'फ्राक वाला घोड़ा' और 'निर्झर वाला साईस' इसका स्पष्ट प्रमाण है।

समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्त्रियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनना ही होगा एवं समाज और उसकी व्यवस्थाओं को तोड़कर एक ऐसा समाज बनाना होगा, जिसमें स्त्री-पुरुष के बराबर अधिकार हों, जिसमें विवाह, नैतिकता, कलंक और व्यभिचार की मर्यादाएँ बदल जाएँ, जिसमें नारी, पुरुष और बच्चे का पारस्परिक संबंध वही हो जो प्राकृत हैं, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों साथ-साथ विकास की ओर अग्रसर हों।

स्वातंत्र्य चेतना

चेतना का संबंध निजी जीवनदृष्टि से होता है, जिससे परखकर इतिहास संस्कृति और मानवीय संबंधों को पुनः विश्लेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी-न-किसी रूप में यथास्थिति बदलती है। समाज की निरंतर परिवर्तित व्यवस्थाएँ व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। हर पल बदलते सामाजिक स्वरूप, नई विचारधाराएँ, राजनैतिक गतिविधियों ने नारी को भी जागृत किया और अस्तित्व सत्ता का बोध कराने में अहम् भूमिका निभाई। परिवर्तित चेतना-शक्ति के बल पर नारी ने स्वयं को आजाद करने की ठान ली। अब साहित्य नारी को देवी नहीं सामान्य चेतना संपन्न व्यक्ति मानने लगा और उसके सर्वांगीण विकास और स्वतंत्रता के लिए पहल प्रारंभ हुई। यशपाल ने अपने उपन्यासों 'दादा कामरेड', 'मनुष्य रूप', 'देशद्रोही' आदि में नारी-शिक्षा को चित्रित कर उनमें स्वतंत्र होने की प्रबल इच्छा का वर्णन किया। इसी प्रकार रांगेय राघव के 'घरौंदे' की लवंग, लीला, रानी और इंदिरा, इलाचंद जोशी के 'निर्वासित' की रमा, प्रतिमा, जैनेन्द्र की कल्याणी, सुनिता और 'त्यागपत्र' की मृणाल शिक्षित नारी-पात्र हैं। राजेन्द्र यादव के 'उखड़े हुए लोग' की जया कहती है, ''स्त्री घर की रानी है, उसकी दुनिया चहरदीवारी के भीतर है, इन या ऐसे वाक्यों को आप पुरानी संस्कृति के रट्टू तोते के लिए छोड़ दीजिए।''[9]

'विरुद्ध' की रजनी के माध्यम से मृणाल पाण्डे ने एक उच्च शिक्षिता, उच्चवर्गीय, स्वाभिमानी नवयुवती पत्नी के मानसिक संघर्ष की तीखी और मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। आज की नारी विवश नहीं है। वह अपनी बात स्पष्ट रूप से सबके सामने रखने

के लिए स्वतंत्र है। मृणाल पाण्डे की कहानी 'उमेश जी' की नायिका आर्थिक अभाव और पारिवारिक दबाव के कारण, नौकरी पाने के लिए बदचलन नेता से समझौता करने पर मज़बूर है। पर वह बेवकूफ नहीं बनाई जाती, सब कुछ समझकर, उसका तिरस्कार करते हुए समझौता करती है। यह सचेत मानसिकता ही विवेकशीलता है, जो अंततः विद्रोह के रास्ते पर पहला कदम रखवाती है। बीसवीं सदी महिला-जागरण की सदी रही है। इस काल में महिलाओं ने संगठित होकर लड़ाई लड़ी और उनका नया रूप सामने आया। ऊषा प्रियवंदा के उपन्यास 'पचपन खंभे लाल दीवारें' की सुषमा स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, ''जीवन में और भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं, सिर्फ विवाह ही तो नहीं। वहीं और देशों में देखिए बिना शादी किए ही औरतें कैसे मज़े में रहती हैं।''[10] 'उसके हिस्से की धूप' (मृदुला गर्ग) की मनीषा पति की उपेक्षा सहने को तैयार नहीं। निरूपमा सेवती द्वारा रचित उपन्यास 'मेरा नरक अपना' में नायिका अमला पूर्णतः यथार्थवादी है। आधुनिक एवं प्रगतिशील नारी अमला स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कृतसंकल्प है। 'रूकोगी नहीं राधिका' में राधिका चेतना-संपन्न नारी है। वह स्त्री-स्वातंत्र्य की पक्षधर बनकर उभरी है। वह कहती है, ''माँ-बाप की ऊँगली पकड़कर चलने के कारण ही लड़कियों का चरित्र पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता।''[11]

कृष्णा सोबती के उपन्यास 'मित्रोमरजानी' में नारी का एक स्वच्छंद रूप सामने आया है। 'मित्रो' समाज की कुरीतियों के दबाव में अपना जीवन नष्ट करने या नैतिकता की कोरी चादर ओढ़ने के खिलाफ है।

जया जादवानी भारतीय स्त्री की कुंठा, संघर्ष और स्वप्न को उसके बंधनों और स्वतंत्रता की लालसा को अपनी कहानियों 'मुझे ही होना है बार-बार', 'अंदर के पानियों में कोई सपना काँपता है' एवं उपन्यास 'मैं शब्द हूँ' के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जया जादवानी का कथा-साहित्य स्त्री-अस्तित्व की तलाश है। इनकी कहानियाँ समाज में स्त्री की जगह तलाशती है। जया जादवानी आज की स्त्री को गहरी संवेदना और नई अंतर्दृष्टि के साथ उकेरती हैं। इनकी सारी कथा-नायिकाएँ स्वयं के पड़ताल में लगी हुई हैं।

नारी-स्वतंत्रता से मतलब है, नारी के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व की मान्यता साथ-ही उसके प्रति एक उदार, आदरपूर्ण, सुचितामय दृष्टिकोण जो अधिक स्वस्थ, संयत और मानवीय हो। उसे केवल विलास या सौंदर्य की गुड़िया न समझकर एक संवेदनशील आत्मा का दरजा दिया जाए।

निष्कर्ष

नारी की नवीन चेतना ने उसे अपने अस्तित्व के प्रति सजग किया। परिवर्तित चेतना-शक्ति के बल पर नारी ने स्वयं को आजाद करने की ठान ली। वह अब 'देवी' से सामान्य चेतना संपन्न व्यक्ति के रूप में स्थापित होने लगी। स्वातंत्र्योत्तर कथा-साहित्य में नारी के प्रति एक उदार, आदरपूर्ण, सुचितामय दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जो अधिक स्वस्थ्य, संपन्न और मानवीय होने की दिशा की ओर इंगित करता है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

[1]पाण्डे, मृणाल -देवी, दिल्ली : राजकमल प्रकाशन 2000, पृष्ठ संख्या 13.
[2]वही, पृष्ठ संख्या 15.
[3]नागर, अमृतलाल -नाच्यों बहुत गोपाल, दिल्ली : राजपाल एण्ड संस. 2009, पृष्ठ संख्या 126.
[4]वही, पृष्ठ संख्या 126.
[5]यशपाल -झूठा सच, भाग-1, इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन 2010, पृष्ठ संख्या 93.
[6]वर्मा, महादेवी -श्रृंखला की कड़ियाँ, दिल्ली : राजकमल प्रकाशन 2010, पृष्ठ संख्या 102
[7]कमलेश्वर -कितने पाकिस्तान, दिल्ली : राजपाल एण्ड संस. 2007, पृष्ठ संख्या 300.
[8]राघव, रांगेय -घरौंदा, दिल्ली : राजपाल एण्ड संस, 2000, पृष्ठ संख्या 177.
[9]यादव, राजेन्द्र -उखड़े हुए लोग, दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.2010, पृष्ठ संख्या 177.
[10]प्रियंवदा, ऊषा -पचपन खंभे लाल दीवारें....., दिल्ली : राजकमल प्रकाशन 2010
[11]प्रियंवदा, ऊषा -रूकोगी नहीं राधिका, दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.2010, पृष्ठ संख्या 28.

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,33-35
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 27 अगस्त 2014

साहित्य के झरोखे में नारी

डॉ. एम. डी. भास्कर*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *साहित्य के झरोखे में नारी* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *एम. डी. भास्कर* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

स्त्री व पुरुष इस सृष्टि में अपरिहार्य रूप से ऐसे दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनके संतुलन से यह दुनिया कायाम है। दोनों के बलबूते पर समाज, देश व विश्व की भौतिक सत्ता विद्यमान है, परन्तु दोनों के अंदर इतना विषम अन्तर्विरोध है कि मानसिक दु:खों को दबाबों को परतंत्रता को बहन करने के लिये दोनों ही बाध्य है। प्रत्येक देश के साहित्य में स्त्री पुरुष के विविध चारित्रिक पहलू उजागर किये जाते हैं। साहित्यकार के वैचारिक ढाँचे में अनुस्यूत किये गये पात्र उसकी अपनी सोच से परिचालित होते हैं। साहित्यकार की कल्पना को सामाजिक रूप से संगठित मानव अपनी भावनाओं के अनुसार निज की अनुभूति बना लेता है उसे स्वयं पता नहीं होता कि वह कब एक मानसिक गुलामी या दु:खदायी चतुराई में फँस जाता है। तथाकथित विशिष्ट लोग अपने हित लाभ के लिये साहित्यकारों के वाक्यों को नीति बचनों की तरह उपयोग कर एक दीर्घकालीन परम्परा में रूढ़िबद्ध होकर समाज से उसके पालन की अपेक्षा करते हैं। परिवार को निर्मित व संगठित करने वाली स्त्री इस भाव चक्र में इस कदर पिसती है कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही खो देती है।

प्राचीन काल से यदि अब तक के रचित साहित्य पर दृष्टिपात करें तो पिछले पच्चीस तीस वर्षों को छोड़कर स्त्री विमर्श जैसा कोई भाव साहित्य जगत् को नहीं पकड़ा।

वैदिक साहित्य में कहीं भी कन्या का पुत्र की तरह संस्कार करते नहीं बताया गया। एक स्त्री को दस पुत्र उत्पन्न करने के लिये प्रेरित किया गया, फिर चाहे उसे विधवा होने पर नियोग के द्वारा ही उत्पन्न करना पड़े। कन्या के लिये कहा है, *दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति।।*[1] *[निरुक्त]* अर्थात् कन्या को दूर देश में भेजना ही भला है।

उस समय के पितृ-सत्तात्मक समाज में शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी वेदाध्ययन से वंचित रखा गया। यद्यपि गुरुकुलों के आचार्यों की कुछ पुत्रियों ने वैदिक ऋचायें रचीं लेकिन स्वतंत्र लेखन में उनका कहीं नाम नहीं

* एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महिला विद्यालय पी. जी. कॉलेज [कनखल] हरिद्वार (उत्तराखण्ड) भारत

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया, *कन्याना सम्प्रदान व कुमाराणां च रक्षण।।*[2] *[मनुस्मृति]* कन्यायें तो देने के लिये हैं और कुमार अर्थात् पुत्र रक्षण के लिये हैं।

वैदिक काल के समानान्तर दक्षिण भारत में शैव सम्प्रदाय तेजी से विकसित हो रहा था। शैव साहित्य में प्रथम बार स्त्री को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया और उसे सम्पत्ति से अलग ज्ञान पाने के योग्य स्वीकारा गया। शिव-पार्वती संवाद के रूप समस्त शैव साहित्य विराट रूप में विकसित हुआ है। आगम ग्रंथों में शक्ति का सम्यक् विवेचन है।

तंत्र के यामल ग्रंथों में भैरवी व भैरव के सम्वाद के रुप में भैरव [पुरुष] भैरवी [नारी] से विनय पूर्वक ज्ञान देने की प्रार्थना करता है, जैसे *परा श्री परमेशानी वदनाम्भोजनि: सृतम्। श्री यामल महातंत्र स्वतंत्र विष्णु-यामलम्।।1।। शक्ति यामलमाख्यात ब्रह्मण स्तुति हेतुना। ब्रह्मयामल वेदांग सर्वञ्च कथित प्रिये।।2।। इदानीमुत्तराकाण्डं वद श्रीरूद्रयामलाम्। यदि भाग्यवशा-`वी! तव श्री मुख पंकजे।।3।।*[3] अर्थात् श्री भैरव ने कहा, "हे! प्रिये आपने परा श्री परमेशानी के मुख कमल से निर्गत श्री यामल नामक महातंत्र स्वतंत्र विष्णुयामल शक्तियामल और ब्रह्मदेव की स्तुति युक्त ब्रह्मयामल नामक वेदांग का वर्णन किया है। हे देवी! इस समय हम लोगों के सौभाग्य से यदि आपके श्रीमुख कमल में उत्तरकाण्ड वाला श्री रूद्रयामल तंत्र विद्यमान है तो उसे भी कहिये।" [रूद्रयामल, पृष्ठ संख्या 1]

पौराणिक साहित्य और उसके परवर्ती साहित्य में नारी प्रधानता वाले इन ग्रंथों को एक सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार बना दिया गया कुछ कुविचारकों व ग्रंथों का दुरुपयोग करने वालों ने अर्थ का अनर्थ करके इन्हें पंच मकारों से युक्त दिखाकर समाज के लिये दुर्बोध व हेय बता दिया।

बौद्ध साहित्य में एक ओर जहाँ निम्न जाति की स्त्री को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उपदेश है, वहीं यह निर्देश भी है कि वह पिता पति या पुत्र से आज्ञा लेकर ही इस मार्ग पर चले, हाँ! उस समय वेश्या को ही स्वतंत्र बताया गया, जो स्वनिर्णय का अधिकार रखती थी। जैन साहित्य में स्त्री विमर्श नहीं है, वहाँ पर अन्य जैन मुनियों की तरह आचार संहितायें लागू तो है पर मोक्ष प्राप्त करने के लिये पुरुष रूप में दोबारा जन्म लेने की बात कही गयी है।

पूर्ववर्ती हिन्दी साहित्य पौराणिक ग्रंथों की परम्परागत सोच का ही पोषण करता है, पुत्री को पिता, पिता की दासी बने रहने का उपदेश देता है। मिथ्या अभियोग का कोई प्रतिकार नारी न पति से कर सकती है न राजा से, फलत: निष्कासित कर दी जाती है। मध्यकाल में नारी या तो रानी थी या दासी, बीच की स्त्री के जीवन व उसकी समस्याओं का कोई वर्णन नहीं मिलता है। भक्ति साहित्य में नारी माया है। सूफी साहित्य में सौंदर्य की मूर्ति, पर भावुक और निर्णय लेने की क्षमता से रहित और सौतियाडाह से पीड़ित।

सूर साहित्य में पहली बार ग्रामीण समाज की स्त्री के स्वच्छन्द रूप की झलक मिलती है जहाँ परिवार की वर्जनाओं की अवहेलना दिखायी गयी है।

परवर्ती साहित्य में स्त्री विमर्श दलित विमर्श के समानान्तर उभरा, कारण कि अभी तक पशु, शूद्र और स्त्री एक ही खाते में दर्ज रहे थे। पाश्चात्य जगत् में उभरे आन्दोलन, दास विद्रोह, श्रमिक विद्रोह और भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन, दलित आन्दोलन स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, समय की मांग के अनुरुप अपना ढांचा तैयार करते गये और साहित्य में प्रथम बार सामान्य जीवन की समान्य नारी पर कुछ लिखा जाने लगा। स्त्री शिक्षा के बद ही स्त्री अपने स्वतंत्र अस्तित्व पर ध्यान दे सकी। इधर कुछ वर्षों से चर्चित लेखिकाओं, जैसे महादेवी वर्मा, शिवानी, ऊषा प्रियंवदा, कृष्णा सोवती, महाश्वेता देवी, मृदुला गर्ग और मृणाल पाण्डे आदि ने स्त्री को केन्द्र में रखकर सशक्त रचनाये की और स्त्री विमर्श अपने तीखे तेवर के साथ पहजी बार प्रकट हुआ। स्त्री की पीड़ा स्त्री की लेखनी से मुखरित हुई। शिवानी कालिन्दी नामक उपन्यास में एक जगह लिखती है, *क्या हम लक्ष्मी को सदा विष्णु के चरणों में ही बैठा देखते रहेंगे।*

नारी विमर्श की आलोच्य पुस्तक *स्त्रीत्व का मानचित्र* में लेखिका अनामिका स्त्री की पीड़ा से अभिभूत होकर लिखती हैं, *तकलीफ खतरनाक चीज होती है। उससे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि वह अनंतकाल तक अंधेरे कोनों में मुँह लपेटे पड़ी रहेगी। [पृष्ठ संख्या 25, स्त्रीत्व का मानचित्र]*

अनामिका ने पितृ-सत्तात्मक समाज का बार-बार विरोध किया है। भारतीय नारियों द्वारा किये गये आन्दोलनों के बारे में पुस्तक के छठें प्रकरण में वे लिखती है, *भारतीय भूखण्ड में घटित स्त्री केन्द्रित आन्दोलनों के बारे में एक बात दिलचस्प है कि वे प्रेम के से भोलेपन में घटित हो गये, कोई योजना नहीं बनी, कोई मैनाफेस्टो तैयार नहीं हुआ--- चिपको से लेकर सती तक के सारे आन्दोलनों के पीछे कमोवेश यही प्यारा सा आवेग।---*

आज का साहित्य स्त्री विमर्श को लेकर पर्याप्त समृद्ध है उसका भविष्य उज्ज्वल है, यह अलग बात है कि समाज में स्त्री को अपनी सशक्त मौजूदगी स्थापित करने में सदियों की यात्रा तय करनी होगी।

संदर्भ

महर्षि दयानन्द सरस्वती -सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ संख्या 53
वही, पृष्ठ संख्या 51
डॉ. सुधाकर मालवीय -रूद्रायामलम् (उत्तरतंत्रम्), पृष्ठ संख्या 1
शिवानी -कालिन्दी
अनामिका -स्त्रीत्व का मानचित्र (प्रस्तावना)
अनामिका -स्त्रीत्व का मानचित्र (छठां प्रकरण)

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,39-43
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 29 अगस्त 2014

भारत में महिला सशक्तिकरण : सामाजिक एवं संवैधानिक परिदृश्य

डॉ. मनीषा आमटे*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *भारत में महिला सशक्तिकरण : सामाजिक एवं संवैधानिक परिदृश्य* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *मनीषा आमटे* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

सशक्तिकरण सही अर्थ में परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका केन्द्र बिन्दु शक्ति है। समानता के उद्देश्य से महिलाओं की स्थिति में सार्थक बदलाव लाना महिला सशक्तिकरण है।[1] 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र से प्रारंभ से महिला सशक्तिकरण के ये प्रयास 2001 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में हमारे सामने आए। महिला सम्मेलन, विचार गोष्ठियों, भाषणों, राष्ट्रीय सेमिनार आदि के द्वारा जारी प्रावधानों से इस दिशा में जागृति लाई जा रही है। किन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली महिलाएं, एक जुटता से शराब बन्दी जैसे कार्य को सफल बनाने वाली महिलाएँ जिन्होंने जेलों में अत्याचार सहे, परिवार जनों के विरोध पर भी आंदोलन किए, गोद में बच्चे लिए लाठियों का सामना किया वे आज अशक्त, अबला कैसे बन गई ?[2] वास्तव में जनसंख्या का गणित और विविध क्षेत्रों में महिलाओं की समग्र भूमिका उन्हें बराबरी का हकदार बनाती है, किन्तु यह बिडम्बना ही है कि समाज में उसे आज भी दोयम दर्जा प्राप्त है। आज भी महिलाएँ लैंगिक भेदभाव व असमानता की शिकार है। पितृ-सत्तात्मकता के मानदण्डों का पालन करने व विभाजित मानसिकता की वजह से महिलाएँ आज भी कमजोर वर्ग में शामिल है अर्थात् महिला सशक्तिकरण की चुनौती समाज के समक्ष बनी हुई है।

अवधारणा

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी शब्द है। इसका अर्थ व्यापक है। सामान्य रूप में महिला सशक्तिकरण से आशय महिला को सशक्त बनाने से है। सशक्त बनाने से अभिप्राय महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि वे अपनी प्रज्ञा, योग्यता एवं क्षमताओं को सही दिशा में ले जाए एवं मूर्तता प्रदान करें। अपने अन्दर निहित शक्ति को पहचाने, अपने विचार, कथन, कार्य करने की आजादी के साथ-साथ अपनी निजी जिन्दगी के प्रत्येक कार्य को अपनी क्षमता के साथ, पूर्ण कर सके। सशक्तिकरण महिलाओं

* अतिथि व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, राज माता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) भारत। (सदस्य सम्पादक मण्डल) E-mail : sandeep.manisha22@rediffmail.com

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

को मात्र शक्ति ही प्रदान करना नहीं है बल्कि उन्हें वह अवसर सुविधाएँ, आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण उपलब्ध कराने से है जिससे कि वे सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता का विकास कर सके।[3]

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो महिलाओं में गतिशीलता, आत्मविश्वास व जागरूकता का संचार करती है। जिससे निर्णयात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी संभव हो सके। महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऑफिस आफ द यूनाईटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फार ह्यूमन राइट्स ने लिखा है, ''यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवन को सुधारकर अपने जीवन की दशा का निर्धारण कर सके।''[4] एशियन और पेसिफिक सेंटर फार वूमन एण्ड डेव्हलपमेंट द्वारा महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, ''महिलाओं द्वारा स्वयं निर्णय लेने की दशाओं में वृद्धि ही सही माइने में महिला सशक्तिकरण है।''[5]

महिला सशक्तिकरण के सामान्य रूप से तीन घटक है- प्रथम महिला के आत्म सम्मान का मान, द्वितीय स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार और तृतीय महिला द्वारा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता जिसके द्वारा एक न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की स्थापना सभी स्तरों पर हो सके।

Sara Longwes ने लैंगिक समानता पर आधारित महिला सशक्तिकरण के पांच आधार बताए हैं :

1. Welfare Level; यह स्तर सुनिश्चित करता है कि महिलाएं महज हितग्राही नहीं है बलिक उनकी विकास में भागीदारी भी होनी चाहिए।

2.Access Level; यह स्तर सुनिश्चित करता है कि जीवन के प्रमुख स्त्रोंतों जैसे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भूमि, पूंजी, रोजगार आदि में पुरूष के समान ही अवसर होने चाहिए।

3.Consciensization Level; इस स्तर पर महिलाएं अपने प्रति भेदभाव व शोषण के विरूद्ध जागरूक हो सके।

4.Participation Level; इस स्तर पर महिलाओं की परिवार एवं सार्वजनिक निकायों में निर्णय निर्माण में सहभागिता हो सके।

5.Control Level; इस स्तर पर महिलाएं स्वयं अपने जीवन की दशाओं व परिवेश को नियंत्रित कर विकास में सहभागी बन सके।

प्रक्रिया

20 वी शताब्दी के प्रारंभिक समय से आजादी की लड़ाई के साथ सामाजिक सुधार की पहल भी चल रही थी। सामाजिक सुधार के अनेक पक्षों में एक प्रमुख पक्ष था महिलाओं की स्थिति में सुधार। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि के प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने व कुप्रथाओं को दूर करने की पहल भी की गयी। इसी काल में वैश्यावृत्ति उन्मूलन, संबंध विच्छेद तथा नारी के संपत्ति संबंधी प्रश्नों को लेकर वैधानिक सुधार भी किए जाने लगे। 1904 ई. में सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में बाल-विवाह निषेध कानून व 1910 में सिविल मैरिज कानून बनाया।

प्रारंभ में पर्दा प्रथा, अशिक्षा, दहेज जैसी समस्याएँ शिक्षित नारियों का ध्यान आकर्षित करती रही किन्तु अब राष्ट्र का राजनैतिक घटना चक्र उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा देने लगा। श्रीमति एनी बेसेंट 1914 से नारियों में राजनैतिक चेतना का जागरण करने लगी थी। सन् 1917 में उनके राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से शिक्षित भारतीय नारियों में एक चेतना जागृत हुई इसके अतिरिक्त सरोजनी नायडू, अम्मन बीबी, श्रीमती लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा, हंसा मेहता, अरूणा आसफ अली, कमला देवी, चट्टोपाध्याय आदि महिलाओं ने राजनीति में भाग लेने के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी जागरण का शंखनाद किया।

इस काल में महिला कल्याण के लिए जी.के. देवधर, कर्वे, गांधी हंसराज, हन्ना सेना, अबला बोस, डॉ. मतु लक्ष्मी रेड्डी, रामेश्वरी नेहरू, श्रीमति रामाराव आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। नारी उत्थान के लिए महिलाओं की भारतीय परिषद् (1917), अखिल भारतीय महिला परिषद् (1927), अखिल भारतीय अशिक्षा कोष (1929), स्नातिका मंच (1949), कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट (1945) ने जो प्रयास किए वे अविस्मरणीय है।

इन प्रयासों को तत्कालीन शासन ने समर्थन प्रदान किया। 1921 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। 1929 में बाल विवाह निरोधक विधेयक पारित किया गया। 1927 ई0 में भारतीय परिमितता अधिनियम के अनुसार मृत पति को संपत्ति पर विधवा पत्नी के अधिकार को वैधता प्रदान की गई। 1923 में सर्वप्रथम बंबई सरकार द्वारा बंबई वैश्यावृत्ति निरोधक कानून बनाया गया। इसके पश्चात् 1930 में क्रमशः मद्रास, उत्तरप्रदेश, बंगाल, पंजाब, मध्यप्रदेश में भी ऐसे कानून बनाए गए। 1934

में बंबई में देवदासी प्रथा निषेध कानून बनाया गया। 1942 में बडौदा सरकार ने विवाह विच्छेद किए बिना ही, दूसरा विवाह करने के अधिकार पर रोक लगाने के संबंध में कानून बनाया गया। 1946 में बंबई सरकार ने हिन्दू बहुविवाह निरोधक कानून बनाया गया। 1947 में मद्रास में बालिकाओं के कौमार्य को देवार्पित करने को अवैधानिक घोषित कर दिया गया।

स्वातंत्र्य आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं में यह दृष्टिकोण विकसित हुआ कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए और उन्हें किस प्रकार राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जाना है। स्वतंत्रता के उपरांत इस ओर ध्यान देने का प्रथम अवसर संविधान के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें महिला सशक्तिकरण हेतु तीन बातों को सूत्र रूप में माना गया।

1. लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया जाए।
2. महिलाओं की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुऐ राज्यों को यह अधिकार दिए जाए कि वे उनके हित में विशेष प्रावधान करें।
3. नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा महिलाओं से संबंधित कुछ संदर्भों में राज्य को दिए विशेष निर्देश।

इन आधारों पर भारतीय संविधान के विविध भागों में महिला सशक्तिकरण हेतु किए प्रावधानों की ध्वनि सुनाई देती है।

1. संविधान की प्रस्तावना
2. मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान।
3. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान।
4. मूल कर्त्तव्यों के अंतर्गत प्रावधान।
5. निर्वाचन के अंतर्गत प्रावधान
6. नवीनतम संविधान संशोधनों द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं अन्य प्रयास

संविधान की उद्देशिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि समानता संविधान की आत्मा है और इसमें लिंगगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है।

मौलिक अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। संविधान के भाग तृतीय के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के द्वारा विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। इस अनुच्छेद में महिलाओं के लिए यह प्रावधान है कि उनके साथ केवल महिला होने के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 15 (3) में कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबन्ध कर सकता है।

अनुच्छेद 16 में ''लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता' में भी लिंगगत भेदभाव का निषेध किया गया है।

अनुच्छेद 13 'शोषण के विरूद्ध अधिकार' के द्वारा व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने, भेदभाव को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत महिलाओं और अन्य व्यक्तियों के अनैतिक या अन्य प्रयोजनों के लिए दुर्व्यवहार का भी प्रतिषेध है। इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थापिका द्वारा महिला तथा बालिका अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956' पारित किया गया।

संविधान के भाग-4 में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं सामाजिक, आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना है। साथ ही संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों एवं मूल्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार में मार्ग प्रशस्त करता है।

अनुच्छेद 39 (क)-जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार

अनुच्छेद 39 (ख) -समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद 39 (घ)-पुरूषों एवं महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा।

अनुच्छेद 42- काम की न्यायसंगत मनोवांछित दशा तथा प्रसूति सहायता का अधिकार।

अनुच्छेद 44- भारत में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने आदि का प्रावधान किया है।

राज्य द्वारा इन निर्देशक तत्वों को व्यवहारित करने के लिए वैधानिक प्रयास के अंतर्गत सरकार के द्वारा बहुत से कानून पास कराए। इससे संबंधित मुख्य विधि निर्माण समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961', कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 प्रमुख है। समान कार्य के लिए समान वेतन के अंतर्गत बागवानी 1976 का विस्तार किया जाना चाहिए।

विभिन्न नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। 1953 में स्थापित, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 के द्वारा भी महिलाओं के कल्याण संबंधी नीतियों को निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भी महिला विकास के संबंधित है।

मूल कर्त्तव्यों में महिला सशक्तिकरण के विकास हेतु प्रावधान किए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4(क) में मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 51 (क) ई, में यह प्रावधान है कि ''ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध है।'' इस प्रावधान के द्वारा मूलतः उन प्रथाओं जैसे सती प्रथा, बालविवाह, दहेज प्रथा आदि को समाप्त करने की मांग की गई।

निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत किए गए प्रावधानों में- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इसी सिद्धांत के आधार पर अनुच्छेद 326 में प्रत्येक नागरिक को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया।

73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन के प्रावधानों के आधार पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के आधार पर पंचायत के स्तर पर निर्वाचित किया जाएगा। आरक्षण की इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछडे वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है।

74 संविधान संशोधन के द्वारा भी नगरीय निकायों के प्रत्येक स्तर हेतु 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है।

1. लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण।
2. सीटों के आवर्तन (रोटेशन व्यवस्था) के द्वारा आरक्षित स्थानों का प्रत्येक निर्वाचन में परिवर्तन।
3. राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रावधान।
4. दिल्ली विधान सभा महिलाओं के आरक्षण के लिए संसद द्वारा विधि निर्माण का प्रावधान।

भारतीय संविधान में महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान करके संपन्न बना दिया गया है। महिलाओं की समाज में वर्तमान स्थिति को देखते हुए रेखांकित करना सही है कि केवल संविधान में अधिकारों की व्यवस्था मात्र से वे अधिकार संपन्न हो गई है, यह मान लेना ठीक नही है। महिलाओं के विशेष संदर्भ में समाज और संविधान के मध्य गत्यात्मक संबंध है। महिलाओं को शिक्षित, जागरूक तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के उपरांत ही संविधान में वर्णित अधिकारों को समुचित लाभ उन्हें मिल सकेगा।

वस्तु स्थिति

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है महिला सशक्तिकरण के उपरोक्त तमाम प्रयासों से भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि से महिलाओं की स्थिति निश्चित ही उन्नत हुई है। लेकिन इन सबके बावजूद दूसरा पहलू यह है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयास आज भी हकीकत की धुंधली तस्वीर प्रस्तुत कर रहे है। 1901 से 1911 तक की जनगणना में पुरूषों की तुलना में औरतों की कम होती संख्या इस बात की गवाह है कि आजादी के बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समतामूलक समाज की परिकल्पना की थी। वह परिकल्पना अभी तक यथार्थ से

कोसों दूर है। विभिन्न शोध निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि भारत में हर सातवें मिनट पर महिलाओं के विरूद्ध कोई न कोई अपराध होता है। हर 54 मिनट पर किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार होता है। हर 26वे मिनट पर छेड़खानी की घटना होती है। हर 45 मिनट पर एक महिला का अपहरण होता है तथा हर 102 मिनट पर एक दहेज हत्या होती है। अनगिनत मामले तो दर्ज हुए बिना ही रह जाते है।[6]

विश्व सूचना और विश्लेषण कंपनी निलसन की ताजा सर्वे रिपोर्ट (1011) जो 21 प्रमुख विकसित व विकासशील देशों पर आधारित है से स्पष्ट होता है कि भारत में 87 प्रतिशत महिलाएं अधिकांश समय तनाव में रहती है 82 प्रतिशत महिलाओं को आराम का समय नहीं मिलता है। विगत दशकों में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया समाज में तीव्र हुई है। जिससे महिलाओं की समस्याओं में इजाफा हुआ है। लैंगिक संबंधों के नये आदर्श पश्चिम में आयात किए गए है जिससे भारतीय स्त्री को पहचान तो मिली है लेकिन उसकी नैतिकता और श्रम का वस्तुकरण हुआ है। बाजारीकृत अर्थव्यवस्था का परिणाम स्त्री के विरूद्ध बढ़ती हुई हिंसा है।

अंत में नर-नारी समानता के पक्षधर राममनोहर लोहिया के विचार आज भी प्रासंगिक है उनके अनुसार, ''शक्ति मौका आने पर प्रकट होती है और प्रकट होते-होते बढ़ती है। शक्ति दबाने से दबती चली जाती है और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मानों हो, ही नहीं और कभी न रही हो भारतीय समाज में नारी को इतना दबा कर रखा है कि इसे अपनी सामर्थ्य और क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं रहा। अतः महिलाओं को समानता का भाव लाकर शक्ति व सामर्थ्य में वृद्धि करके ही भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण, को प्रभावी बनाया जा सकता है।''

संदर्भ

[1]दुबे, डॉ. माधवी लता -*''भारत में महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया एवं विवचेन'',* डॉ श्रीनाथ शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक सामाजिक विकल्प म.प्र. समाजशास्त्रीय परिषद् द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 53

[2]सक्सेना, उपमा -*''महिला सशक्तिकरण : सामाजिक एवं संवैधानिक परिदृश्य'',* अध्ययन पब्लिशर्स एड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली', पृ. 2.3

[3]वत्सला, डॉ. -*''महिला सशक्तिकरण की कसौटी पर सीता : वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में'',* रचना अंक 103, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 39

[4]वत्सला, डॉ. -*''महिला सशक्तिकरण की कसौटी पर सीता : वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में'',* रचना अंक 103, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 39

[5]दुबे, डॉ. माधवी लता -*''भारत में महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया एवं विवचेन'',* डॉ. श्रीनाथ शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक सामाजिक विकल्प म.प्र. समाजशास्त्रीय परिषद् द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 54

[6]माहेश्वरी, सरला -*''नारी प्रश्न'',* राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 95

[7]दुबे, डॉ. माधवी लता -*''भारत में महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया एवं विवचेन'',* डॉ. श्रीनाथ शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक सामाजिक विकल्प म.प्र. समाजशास्त्रीय परिषद् द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 59

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,48-52
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 01 सितम्बर 2014

महिला सशक्तिकरण : ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. विशाल आनंद*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *महिला सशक्तिकरण : ऐतिहासिक अध्ययन* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र का लेखक मैं *विशाल आनंद* घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

मानव समाज में नारी महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुत: नारी के बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नारी वात्सल्य, ममता और करुणा की मूर्ति है। मनुस्मृति का यह चिर-परिचित श्लोक *यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।* इस बात का संकेत देता है कि प्राचीन काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम मानव काल था; परन्तु मध्यकाल में स्थिति उतनी सुखद नहीं थी। उनकी प्रगति अवरुद्ध रही। ब्रिटिश काल की सामाजिक, राजनीतिक चेतना का असर यद्यपि महिलाओं पर भी पड़ा, लेकिन प्रगति कोई खास नहीं हुई।

स्वतंत्रता के बाद सरकारों, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिये विकास के द्वार खुले। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। आज वे राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, उद्योग, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।[1] एक ओर तो यह परिदृश्य बेहद उत्साहजनक है, परन्तु दूसरी ओर आज भी लाखों-करोड़ों महिलायें गरीबी, शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार है।

उल्लेखनीय है कि सशक्तिकरण जिस शब्द से लिया गया है वह है शक्ति देना, अर्थात् सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से है। हमारे देश की आधी आबादी [48.26 प्रतिशत] महिलाओं की है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में कम है। आजाद भारत का पहला महिला संगठन 1953 ई. में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। 1993 ई. में महिला को ऋण उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। 2001-02 ई. में महिला अधिकारिता कार्यक्रम शुरु किया गया। भारत के अनेक राज्यों में महिलाओं का पंचायती राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत आरक्षण दिया है।[2] जेंडर बजट का शुरुआत हो चुकी है लेकिन हमें देखना होगा कि भारतीय संविधान

* [एम. ए. पी.एच-डी. (इतिहास)] बी. एन. एम. यू. मधेपुरा (बिहार) भारत

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

और कानून में बराबरी का दर्जा दिये जाने के बावजूद भारतीय नारी को समाज में उचित अधिकार क्यों नहीं मिला। उसे अपने समाज में *अबला* कहकर क्यों पुकारा जाता है? महिलाओं का वास्तव में सशक्तिकरण हुआ है।

स्वतंत्रता आन्दोलन में स्त्रियों ने काफी बढ़-चढ़कर भाग लिया। बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष में समाज सुधारकों के साथ सहयोग किया। वस्तुत: स्त्रियों में आई जागरुकता के परिणामस्वरुप ही आजादी का संघर्ष सफलता की ओर बढ़ा।[3]

सामाजिक जीवन में स्त्रियों की बढ़ती हुई सक्रियता ने प्रारम्भिक दौर में इस देश के नगरों और महानगरों में रहने वाली आम स्त्री के आत्मविश्वास को बढ़ाया। धीरे-धीरे स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये शुरु किये गये आन्दोलन और अभियान स्थानीयता की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे। दूर-दराज के अंचल में स्त्रियों पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध बगावत के स्वर देश के संसद मार्ग पर गूंजने लगे। विधानसभाओं की ओर जाने वाली सड़कों पर भी स्त्रियाँ अपने अधिकारों के लिये जुलूस निकालने लगी।[4] यद्यपि स्त्रियों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिये बनाये गये कानूनों का उ-ेश्य उन्हें सशक्त बनाना है लेकिन कई बार इनके दुरुपयोग के, भी हैरतंगेज मामले सामने आते हैं। पारिवारिक असमायोजन के कारण होने वाली दुर्घटना को दहेज का मामला बताकर ऐसे लोगों को भी लपेट लिया जाता है जिसका दूर-दूर तक इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसका उ-ेश्य अपराधी को दण्ड दिलवाना न होकर कानून की आड़ में निरपराध को सताना मात्र होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जुड़े मु-ों पर जो भी संघर्ष या अभियान शुरु हुये उनमें से अधिकांश का स्वर सकारात्मक था। उनमें पुरुषों पर कोई बात या मान्यता लादने का स्वर नहीं था। उनमें भारतीय परम्परा के अनुरुप एक मर्यादा थी। जब दहेज हत्याओं का सिलसिला तेज हो गया था, आये दिन किसी न किसी नव-विवाहिता को दहेज की बलि-बेदी पर चढ़ने के समाचार मिलते थे तब इस देश की स्त्री आन्दोलन का वास्तविक स्वरुप अपनी पूरी क्षमता के साथ उभरकर सामने आया। स्त्री संगठनों ने दहेज हत्याओं के दोषियों के विरुद्ध अभियान चलाये। उनकी गिरफ्तारी के लिये जुलूस निकाले, धरने दिये और उनकी सामाजिकता को नष्ट करने का फरमान जारी किया। इन तमाम गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों की स्त्रियाँ सक्रिय रूप से शामिल थीं। आज भी स्त्रियों से जुड़े प्रश्नों पर सकारात्मक सोच वाले पुरुषों की भागीदारी स्त्रियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है।[5]

विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर

10 से 20 प्रतिशत तक	20 से 30 प्रतिशत तक	30 से 40 प्रतिशत तक
अण्डमान और निकोबार	दमन एवं दीव	आंध्र प्रदेश
बिहार	गोवा	अरुणांचल प्रदेश
चण्डीगढ़	गुजरात	हिमांचल प्रदेश
हरियाणा	कर्नाटक	मध्य प्रदेश
केरल	उड़ीसा	महाराष्ट्र
पाण्डिचेरी	राजस्थान	मेघालय
त्रिपुरा		मणिपुर
उत्तर प्रदेश		नागालैंड
पश्चिम बंगाल		तमिलनाडु

नोट : अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर 10 प्रतिशत से कम है।
स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल, गणना 2001[6]

व्यापक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का उ-ेश्य है स्त्री पुरुषों के बीच शक्ति के संतुलन में परिवर्तन करना ताकि समाज में शक्ति का अधिक साम्यिक वितरण किया जा सके। किन्तु जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया की ज्यादा करीब से जांच करते हैं तो हमें प्रक्रिया के बारे में जानकारी होती है। ये सभी भाव एक-दूसरे से जुड़े हुये हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है ऐसी पोषणीय जीविकाओं द्वारा बेहतर ढंग का नैतिक जीवन यापन जिसकी स्वामिनी और प्रबंधक महिलायें हैं। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का तात्पर्य है एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो राजनीतिक निर्णयन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और नियंत्रण का समर्थन करें।

बहुत से लोगों को जिस चिंता ने घेरा हुआ है वह यह है कि महिलाओं का सशक्तिकरण पुरुषों के विरुद्ध किया जा रहा है। इस विषय पर कुछ भ्रांति हो सकती है, यह तो सच है परन्तु यह आशंका सच नहीं है कि महिला सशक्तिकरण पुरुषों के हितों के खिलाफ होगा और पुरुषों को शक्तिहीन बना देगा। महिलाओं का सशक्तिकरण पितृसत्ता और इसके नियंत्रणों के विरुद्ध है न कि पुरुषों के। महिलाओं के और अधिक सशक्तिकरण का उ-ेश्य है, पुरुष और महिला दोनों का पूरा और समग्र विकास। जब महिलाओं को अतीत की बेड़ियों और रूढ़िबद्ध मौन भूमिकाओं से मुक्ति मिल जायेगी तो पुरुष भी अपनी परम्परागत भूमिकाओं और व्यवहार सम्बन्धों प्रतिमानों के बंधनों से मुक्त हो जायेंगे। अत: इसके पीछे भावना यह है कि पुरुषों और महिला दोनों को ही समान विकल्प के अवसर प्राप्त कराये जायें। पुरुषों की मुक्ति का अर्थ है कि उन्हें महिलाओं के ऊपर अपने परम्परागत अधिकारों और शक्ति से छुटकारा पाना होगा और उनमें महिलाओं से ऐसे सम्बन्ध बनाने की इच्छा उत्पन्न होगी जो एक-दूसरे के अधिकारों और उत्तरदायित्व के प्रति परस्पर सम्मान पर आधारित होगी।[7]

भारत में कानूनी तौर पर स्त्री-पुरुष को समानाधिकार प्राप्त है। सामाजिक क्षेत्र की घटनाओं के संदर्भ में स्त्री-पुरुष समानता पर जोर देने का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में महिलाओं को अधिकार प्रदान करना और बच्चे आज विकास के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्ग हैं। इस बात की ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है कि किस देश के विकास में मजबूत और प्रभावशाली बनने के लिये महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से ये अधिकार सम्पन्न करना जरूरी है। महिला अधिकारिता वर्ष इस उ-ेश्य से मनाया जा रहा है कि न केवल स्त्री-पुरुष समानता के उ-ेश्य में नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किये जायें बल्कि समाज के नजरिये में भी परिवर्तन लाया जाये।[8] इस विषय में सरकार की वचनबद्धता के अंग के रूप में महिलाओं के लिये नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी है। साथ राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अनेक उपाय भी किये गये हैं।

विभिन्न उद्योगों में महिला कार्यकर्त्ता

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
कृषि व तत्सम्बन्धी व्यवसाय	53.30	456.90	510.20	13
खान एवं ढलाई क्षेत्र	63.70	15.80	79.50	2
वस्तु निर्माण क्षेत्र	131.20	558.50	689.50	17
विद्युत, गैस एवं जल	33.60	1.10	34.70	8
निर्माण	58.30	5.540	63.80	1.5
थोक, फुटकर व्यवसाय तथा होटल एवं रेस्टोरेंट	11.60	23.50	35.10	8
परिवहन एवं संचार	145.90	.90	149.80	4
वित्त बीमा एवं जमीन व्यवसाय	159.20	32.30	191.50	5
सामुदायिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक सेवा	1819.80	152.50	2272.30	56
कुल	2476.60	1548.90	4026.40	----

महिला सशक्तिकरण का प्रश्न दुनियाँ भर के नेताओं और विवेकशील व्यक्तियों के लिये कई दशकों में चिंता का विषय रहा है। चीन के बीजिंग शहर में हुये चौथे सम्मेलन में पुरुष के मुकाबले स्त्रियों के अवसरों और दर्जे की समानता देने की जरूरत पर जोर दिया गया था। स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाये और लक्ष्य प्राप्ति आत्मविश्वास उत्पन्न करने में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।[10] इसमें भारत सहित अन्य सभी देशों की उपस्थित सरकारें विश्वस्तर पर स्त्री-पुरुष समानाधिकारों तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय

मानवाधिकार, दस्तावेजों विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार की भेदभाव की समाप्ति सम्बन्धी संधि घोषणा व अन्य सिद्धांतों के प्रति बचनबद्ध रहेगी। इसमें यह महसूस किया गया कि स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिये कदम उठाना जरूरी है।[11] लड़कियों और औरतों की बुनियादी शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा, साक्षरता व प्रशिक्षण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिये आर्थिक उन्नति के साथ-साथ जन केन्द्रित निरन्तर विकास को बढ़ावा देना।

...इसलिये विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया कि शिक्षा से सशक्तिकरण होता है तथा जीवनपर्यन्त व निरन्तर शिक्षा मानव जीवन के स्तर को उन्नत करती है। सदियों से स्त्रियों के प्रति भेदभाव किया जाता रहा है और उन्हें शिक्षा, उन्नति, विकास और निर्णयाधिकार से वंचित रखा गया है। पारम्परिक रूप से औरत की भूमिका घर सम्भालने और बच्चों का पालन-पोषण करने तक सीमित है। जबकि शिक्षा तथा विश्व सम्पर्क से बेटी के जीवन के प्रति भी व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है।

भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 2000-01 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जाये। क्या किसी एक वर्ष से किसी समाज को उस वर्ग को सबल बनाया जा सकता है, जो युगों से शोषित वर्गों में शामिल है। सम्भवत: मंतव्य या मंशा यह है कि इस एक वर्ष में महिला मु-ों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रीत किया जाये और वे उपाय खोजे जायें जिससे आगामी वर्षों में महिलायें सबल, सशक्त हो या कम से कम उनके प्रति भेदभाव में कमी आये।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ग्रामीण महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं और अपने परिवारों का अस्तित्व बनाये रखने की उल्लेखनीय भूमिका पर विचार किया गया तथा भेदभाव को मिटाने पर सहमति हुई ताकि महिलायें विकास की सभी गतिविधियों में भाग ले सके। इनके लिये निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं :

1. सभी स्तरों पर विकास योजनायें तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में शामिल करना।
2 पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच, जिनमें परिवार नियोजन सम्बन्धी समस्त सूचना और सेवायें शामिल हैं।
3. रोजगार या स्व-रोजगार के जरिये समान आर्थिक अवसरों के लिये आत्मनिर्भर समूहों और सहकारिताओं का गठन।
4. सभी सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना।
5. रहन-सहन सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें विशेष रूप से आवास, सफाई, बिजली एवं पानी की आपूर्ति परिहवन और संचार सुविधायें होना।

1970 के दशक के अन्तिम वर्षों में बिहार का बोध गया किसान आन्दोलन उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसमें भूमिहीन परिवारों की स्त्रियों और पुरुषों ने मिलकर उस जमीन के हक के लिये आन्दोलन किया जिस पर वे खेती करते थे। इस आन्दोलन में स्त्रियों ने स्वतंत्र रूप से भूमि अधिकारों की मांग की और दो गांवों में स्पष्ट अधिकारों सहित उन्होंने भू-खण्ड भी प्राप्त किये। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं ने रिपोर्ट दी कि कई गांव में जहाँ पट्टे आदमियों का मिले थे वहाँ नशाखोरी, हिंसा और धमकियों में बढ़ोत्तरी हुई और पति यह कहते देखे गये कि, निकल घर से यह जमीन मेरी है। लेकिन जहाँ स्त्रियों को पट्टे मिले, वहाँ वे कहने लगीं कि हमारी जबान थी लेकिन हम बोल नहीं सकती थीं, हमारे पाँव थे पर हम चल नहीं सकती थी। अब हमारे पास जमीन है[12] हमारे पास बोलने व चलने की ताकत है, यही वह सशक्तिकरण है जिसे गांव की औरतें स्वयं देखती है।

ध्यातव्य है कि आरक्षण के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा ऊपर से आकर्षक लगती है, इसका दोष यह भी है कि प्राप्त समुदायों में वास्तविक सुख कुछेक को ही मिल सका है, इसलिये आरक्षण दे देना स्त्री समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन का प्रमाण-पत्र नहीं हो सकता।

अंत में हम कह सकते हैं कि महिलाओं का समाज में सम्मान तथा बराबरी का हक तो कुछ अर्थों में हुआ है, लेकिन अभी भी महिला को ऐसी सुविधायें दी जाये जिसके सहारे वे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के लिये यदि अधिक-से-अधिक सहायता मिले तो वे अपनी सृजनशीलता से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। आज आवश्यकता है कि स्त्री उस मुखौटे को उतार फेंके जो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पहनाया गया और बाद में जिसे वह स्वाभाविक समझनें लगी।[13] अत: इस मानसिकता से मुक्ति जरूरी है, तभी सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में दिखेगा। आज आवश्यकता है कि स्त्री अपने गढ़े हुये बनावटी व्यक्तित्व से अपने को मुक्त कर

सके, अर्थात् उसे ऐसा परिवेश और ऐसी सहायता मिले। महिला सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता तभी मिल सकती है।

संदर्भ ग्रंथ

[1]कुमारी, मधु -भारतीय कामकाजी माताओं का सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन, जानकी प्रकाशन नई दिल्ली 2007, पृष्ठ संख्या 01

[2]*हिन्दुस्तान,* पटना 2/2/2006, पृष्ठ संख्या 02

[3]चन्द्र, बिपीन -भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 1999 [पुनर्मुद्रण], पृष्ठ संख्या 212-217

[4]पाण्डे, मृणाल एवं शर्मा, क्षमा -बन्द गलियों के विरुद्ध [महिला पत्रकारिता की यात्रा], इण्डियन विमेंस प्रेस कोर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2004, पृष्ठ संख्या 20

[5]गुप्ता, डॉ. मंजू एवं गुप्ता, सुभाष चन्द्र -भ्रूण हत्या और महिलायें, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 2000, पृष्ठ संख्या 68

[6]*स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल, गणना 2001*

[7]भट्ट, इला. र. -लड़ेंगे भी-रचेंगे भी भारत में स्व-रोजगार स्त्रियों की दास्तान, बाग्देवी प्रकाशन 2008, पृष्ठ संख्या 46

[8]कालिया, ममता -नयी सदी की पहचान, श्रेष्ठ महिला कथाकार, लोक भारती इलाहाबाद 2002, पृष्ठ संख्या 130

[9]कृष्णकांत, सुमन -21 वीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 2001, पृष्ठ संख्या 53

[10]बिसवाल, तपन -मानवाधिकार जेंडर एवं पर्यावरण, भीवा बुक्स 2008, पृष्ठ संख्या 233

[11]शरण, डी. के. -भारतीय इतिहास में नारी, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ संख्या 83

[12]अगनानी, डॉ. मनोहर -कहाँ खो गई बेटियाँ....., अनु.-एस. के. सक्सेना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ संख्या 41

[13]खेतान, प्रभा -उप-निवेश में स्त्री मुक्ति : कामना की दस वार्त्तायें, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2004, पृष्ठ संख्या 114-120

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,53-55
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 02 सितम्बर 2014

स्त्रियों में मूल्य संवर्द्धन द्वारा महिला सशक्तिकरण

डॉ. विभा त्रिपाठी*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *स्त्रियों में मूल्य संवर्द्धन द्वारा महिला सशक्तिकरण* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र की लेखिका मैं *विभा त्रिपाठी* घोषणा करती हूँ कि लेखिका के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देती हूँ। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देती हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देती हूँ।

21वीं सदी की यात्रा कर रहे विश्व की कुछ की ऐसी विसंगतियाँ है जिन्हें दूर किये बिना विश्व अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। विसंगतियों के केन्द्र में समाज का सृजन करने वाली महिला और उसकी यथार्थ स्थिति प्रमुख है। कई देशों में राजनैतिक प्रमुख का दायित्व निभाने वाली महिलाओं ने आसमान तक परचम तो जरूर फैलाया है परन्तु एक औसत दर्जे की महिला और उसकी स्थिति पर गौर करें तो यह उपलब्धियाँ अपवाद प्रतीत होती हैं।

महिला सशक्तीकरण आज भी अधिकार से अलग भाग्य से जुड़ा एक प्रश्न बन कर रह गया है। जिसकी किस्मत होती है वह सशक्त हो जाता है और जिसकी किस्मत नहीं होती है वह गुमनामी के अँधेरे में खो जाता है। यदि देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी पौत्री प्रियंका गांधी को याद करें तो उक्त तर्क की प्रासंगिकता सहज ही अनुभूति होती है।

जब देश के उच्चस्थ घर में महिला सशक्तीकरण का यह पुरसाहाल है तो आम आदमी के घर में महिला सशक्तीकरण की बात करने निश्चित तौर पर एक चुनौती बन जाती है।

वर्तमान समय संक्रमण की ऐसी विभीषिका का समय है जहाँ बौद्धिक स्तर बौना हो जाता है। जो नारी शोषण के प्रति जितनी संवेदनशील है उसके खिलाफ आवाज उठा पाने में उतनी ही अशक्त और लाचार क्यों बन जाती है? क्यों किसी के प्रति कर्त्तव्य बोध से इतनी बोझिल रहती है कि अपने अधिकारों की उसे कोई सुध ही नहीं होती? क्यों वह खून के आँसू हर घूँट में पीती है लेकिन सब ठीक है कह कर सारी यातनाओं को झेलती जाती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि सशक्तीकरण पर बोलने के पूर्व यह समझना जारूरी है कि अशक्तिकरण क्या है? कैसे अशक्त हो जाती है एक महिला घर परिवार और समाज के अघोषित, परम्परागत, रूढ़िवादी कायदे कानूनों से यदि अवसर

* एसोसिएट प्रोफेसर, लॉ फैकल्टी, का. हि. वि. वि. वाराणसी (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

ना मिले, यदि क्षमता का विकास न हो, यदि कुशलता का उचित उपयोग न हो और यदि योग्यता को उचित सम्मान न मिले तो हो जाती है एक महिला अशक्त, अक्षम और परास्त।

महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी दर्शन है। जब तक चहुमुखी प्रयास नहीं होगा एक क्षेत्र की सशक्तता दूसरे क्षेत्र के खालीपन को नहीं भर पायेगी। यदि विधिक प्रावधानों की बात करना हो तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका ने उसे अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार दिये हैं; परन्तु उनकी जानकारी का अभाव होने के कारण महिलायें अपने प्रति हो रहे अन्याय को या तो समझ नहीं पाती अथवा उसे अपनी नियति मान स्वीकार कर लेती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत अभिसमय, जो महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को निवारित करने का प्रयास करता है और राज्य पक्षकारों को भी बाध्य करता है कि वह अपने राज्य में ऐसी विधियाँ बनायें जो सभी प्रकार के भेदभाव को निवारित करती हों।

भारत के विशेष सन्दर्भ में यदि बात की जाये तो यहाँ भी महिलाओं के घरेलू, सामाजिक, कार्यस्थल से सम्बन्धित सम्पत्ति विषयक, हिंसा विरोधी विषयक अनेकानेक विधियाँ बनाई गई हैं।

....किन्तु बात जब राज्य से लेकर निजी संस्थाओं तक की योजनाओं, घोषणाओं, नीतियों और विधियों की सूक्ष्म विवेचना की जाये तो मालूम होता है कि इनके एजेण्डे में महिला-विकास और सशक्तीकरण एक दिखावा मात्र हैं पिछड़े, अर्द्ध-विकसित या विकासशील राज्यों की सामन्ती और पितृ-सत्तात्मक के वर्चस्व वाले राज्य में यह पहचान करना मुश्किल है कि सर्वप्रथम किस बात को प्राथमिकता दी जाये। कहाँ से बहस शरू की जाये और आखिर कितनी लम्बी लड़ाई लड़ी जाये महिला सशक्तीकरण के लिये? महिला सशक्तीकरण के नाम पर खुलेआम लोगों की तिजोरियाँ भरी जा रही हैं लेकिन महिला का खाता एकदम खाली है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सभ्यता के कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज की आधी आबादी के लिये आखिर देह ही धुरी क्यों है? प्रश्न यह है कि चेतना के धरातल पर क्रान्ति के बीज आखिर कब अंकुरित होंगे? प्रश्न यह भी है कि विधायिका के द्वारा नित नवीन विधियों का प्रवर्तन वास्तविक प्रस्थिति में कब बदलाव ला सकेगा?

वर्ष 2013 के ग्लोबल ह्यूमन डिवेलपमेन्ट रिर्पोट के अनुसार लैंगिक विषमता के मामले में भारतवर्ष का स्थान कुल 148 देशों में 132 वें स्तर पर है। जबकि तमाम शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पूरे विश्व में स्वस्थ, शिक्षित, नियोजित और सशक्त महिलायें गरीबी के दुश्चक्र को न सिर्फ अपने लिये तोड़ती है बल्कि अपने परिवार, समुदाय और देश के लिये भी तोड़ती है। अतः वैयक्तिक एवं संस्थागत स्तर पर प्रयास यह होना चाहिये कि एक महिला समस्त अधिकारों एवं सुविधाओं की तथ्यतः एवं विधितः अधिकारिणी मानी जाये।

समाज की रूढ़िवादिता और सामंती मानसिकता को तोड़ने के लिए सभी स्त्री एवं पुरूषों की सहकारी, सहभगी संस्कृति का सृजनात्मक सहयोग लेना होगा। स्वामी विवेकानन्द ने ठीक ही कहा था कि किसी राष्ट्र के विकास को मापनें का सबसे अच्छा यंत्र उसके द्वारा अपनी महिला के साथ किया जाने वाला बर्ताव है।

संयुक्तराष्ट्र महासभा के महासचिव बान0 कि0 मून कहते है कि "Break the silence; when you see violence against women and girls, do not sit back, Act."

स्त्री समस्या का निदान : स्त्रियों में मूल्य संवर्द्धन

चिन्तन की अविरल धारा का प्रवाह तब क्षणिक विश्राम लेता है जब चिन्तन की विषयवस्तु होती है मूल्य विमर्श आज मूल्यविहीनता, मूल्य संवर्धन में कमी इत्यादि स्वाभाविक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं।

जीवन के प्रत्येक पक्ष के अपने कुछ मूल्य है एवं प्रत्येक व्यक्ति के अपने..... फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरूष।

प्रस्तुत आलेख के मूल में हैं स्त्रियों की समस्या और स्त्रियों में मूल्य संवर्धन से उनका निराकरण। वर्तमान सामाजिक विसंगतियों के केन्द्र में यों तो अनेक विडम्बनायें हैं पर उनमें बहुत कुछ ऐसी हैं जिनका सरोकार और प्रभाव स्त्री से स्त्री तक विस्तारित होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरों को अपनी स्थिति का जिम्मेदार ठहराने से पूर्व स्वयं पहल करें उसे सुधारने की। मसलन घर-बाहर, पास-पड़ोस की किसी महिला की समस्या को अपनी समस्या समझें और खुद को उसकी जगह रखकर उस स्थिति में बदलाव और सुधार की पहल करें।

- अविवाहित कामकाजी महिलाओं के निवास पर सहकर्मियों के आने जाने पर अनर्गल टिप्पणी न करें।
- जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक स्त्री की समस्या के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करें।
- प्रत्येक स्त्री के लिये उसी आदर व समता का भाव रखें जो समाज से हम अपने लिये अपेक्षित रखते हैं।
- वह मातायें जिनके पास पुत्र एवं पुत्री दोनों है वह जन्म के समय से ही समानता का व्यवहार करें। घर हो, बाहर हो, अध्ययन-अध्यापन हो, कर्मकाण्ड हो या वह कुछ भी जो एक गृहस्थ जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है उसके प्रति दोनों के समान दायित्व सुनिश्चित करें ताकि उनके मन में कभी यह भाव न पनपे कि हम पुत्र हैं तो यह काम और पुत्री हैं तो यह काम करना है।
- वह मातायें जिनके पास केवल पुत्र हैं उनकी जिम्मेदारी अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत है। उन्हें पूरी सामाजीकरण की प्रक्रिया को सुधारना है। स्त्रियोचित एवं पुरूषोचित के स्थान पर मानवोचित गुणों का विकास करना है। यह सीख देनी है कि स्वयं पुत्रों की मानसिकता बदले फिर चाहे वह दहेज की बात हो, नौकरीशुदा लड़की से विवाह की बात हो अथवा विवाहो-परान्त उत्पन्न सन्तानों के पालन-पोषण की बात हो। वह मातायें जिनके पास केवल बेटियाँ है वह भी उन्हें शिक्षित एवं दीक्षित करें। स्वावलम्बी बनायें एवं सामाजिक विसंगतियों से जूझने का जज्बा और माध्यम विकसित करें।

समझ के इस माध्यम को विस्तृत पटल पर फैला कर सुधार की एक किरण फैलायी जा सके। इसी विचार से संप्रेषित।

अतः महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर अब स्पष्ट रूप से यह बताना है कि महिला सशक्तीकरण के लिये सबसे पहले महिलाओं को आगे आना होगा। हर सम्बन्ध का निर्वहन कर रही महिला को सर्वप्रथम यह स्वीकार करना होगा कि देनी है उसे आज़ादी अपनी बेटी को अपनी मर्जी से जीनें की। नहीं बाँधना है उसे परम्परा की दकियानूसी जंजीरों से और नहीं घोंटना है गला उसकी आसमान चढ़ती ख्वाहिशों को देखकर। हाँ दुनियादारी, सही, गलत, समाज का भोड़पन और हवसी मानसिकता से बचने, जूझने और सुधारने की सीख उसे देनी ही होगी। साथ ही ऐसी माँ जिसे बेटी और बेटा दोनों का पालन करना है। उसे सही मायने में समानता को समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समावेशित करना होगा। वह भाई को बहन का संरक्षक न बनाकर उसे स्त्री जाति का सम्मान करने वाला नागरिक बनाये और बताये कि पुरू-त्व का पुरू-ार्थ हिंसक बनने से कभी सिंह नहीं होता बल्कि यह अपने अन्दर की हीन भावना के दमन का एक माध्यम है। साथ ही एक पढ़ी लिखी लड़की जो नौकरी या उच्च शिक्षा के लिये निकालती है उसे भी यह समझना होगा कि स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता में क्या अन्तर है? क्योंकि वर्तमान समय की अश्लील पूँजीवादी संस्कृति में बाजारवाद ने स्त्री का जो विकृत वस्तुकरण कर दिया है उसमें स्त्री अनजाने अनचाहे फँसती चली जाती है।

अन्त में यही कहना है कि विश्व की बहनों एक हो, क्योंकि हमारी पीड़ा में समानता है। आत्मा को चेतना सम्पन्न करो और सभ्य समाज के सृजन में अपना सकारात्मक योगदान प्रदान करो। एक सभ्य समाज का सृजन महिला सशक्तिकरण के लिये पूर्ववर्ती शर्त है।

सन्दर्भ सूची

ANN ACALES, The Emergence Of Feminist Jurisprudence: An Essay(1986) 95 Yale L J 1373

CAROLINE RAMAZANOGLU (1989), *Feminism and the Contradictions of Oppression*, At 6, Routledge, London and New York.

GOKULESH SHARMA (2008), Feminist Jurisprudence in India, Women's Right, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd.

Jane Freedman : Feminism, at 2, Viva Books Private Limited, New Delhi, First South Asian Edition, 2002

SINDISO NGABA (1995), CEDAW : Eliminating Discrimination against Women, Agenda Feminist Media.

मानव अधिकार अंतराष्ट्रीय प्रपत्रों का संकलन खण्ड एक (प्रथम भाग) सार्वभौमिक प्रपत्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत, प्रथम संस्करण, 2006

पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2014) 8,56-58
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 30 अगस्त 2014

भारतीय बावड़ियों की सिरमौर रानी की वाव [गुजरात] और चांद बावड़ी [राजस्थान] का समीक्षात्मक अध्ययन

सन्तोष कुमार* एवं डॉ. प्रसन्न पाटकर**

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *भारतीय बावड़ियों की सिरमौर रानी की वाव [गुजरात] और चांद बावड़ी [राजस्थान] की समीक्षात्मक अध्ययन* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र की लेखक *सन्तोष कुमार एवं प्रसन्न पाटकर* घोषणा करते हैं कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देते हैं। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह हमारी मौलिक कृति है। हम शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देते हैं। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देते हैं।

विषय वस्तु

ललितकला के अन्तर्गत आने वाली कलाओं में स्थापत्य एक ऐसी विधा है जो हमें सुरक्षा सम्पन्नता तथा स्थायित्व का अहसास कराती है खानावदोश मानव को सामाजिक बन्धन तथा समाज निर्माण में स्थापत्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसी स्थापत्य में एक विधा बावड़ी है जो जलसंचयन हेतु बहुउपयोगी बहुमंजिली शानदार स्थापत्य सैकड़ों सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सुनियोजित सोपानों वाली इमारत होती हैं एवं जलराशि के भंडारण हेतु प्रायः एक आयताकार वर्गाकार या वृत्ताकार एवं गहराई युक्त स्थान बावड़ी कहलाता है यह वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण है इसे अंग्रेजी में step well के नाम से जाना जाता है इसका निर्माण उपयोगी तो है ही साथ ही इसके वास्तुशिल्प के अलंकरण पक्ष की महत्ता भी प्रकाश में आती है भारतीय शुष्क अंचलों में इसका विस्तार ज्यादा हुआ है। भारत में इसका उद्‌भव व विकास पानी के संचयन जलापूर्ति एवं सिचाई के साधन के मद्‌देनजर किया गया हैं मौसमी अस्थिरता व पानी की अनुपलब्धता का सामना इन उपायों के संचयन के माध्यम से किया गया है इसका रखरखाव और प्रबन्धन आसानी से होता है। आज भी जो बावड़ियाँ जीवित हैं वे जलव्यवस्था के अपने मुख्य उद्‌देश्य का निर्वहन कर रही है।

इन भूमिगत बावड़ियों का उद्‌देश्य धार्मिक एवं सामाजिक था, धार्मिकता की छाप ऐसी की मंदिरों में आस्था में केन्द्र देवी देवता भी इन बावड़ियों में स्थित है।

मोहनजोदड़ो स्नानागार 2500 ई0 पू0 जो ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रथम बावड़ी कही जा सकती है इसका उपयोग सार्वजनिक उत्सवों सामूहिक स्नान एवं सम्पूर्ण नगर की जलापूर्ति के लिये होता

* शोध छात्र, ललित काला विभाग, म. गा. चि. ग्रा. वि. वि. [चित्रकूट] सतना (मध्य प्रदेश) भारत। (सदस्य सम्पादक मण्डल) E-mail : skeshari82@gmail.com
**(Corresponding Author) असोसिएट प्रोफेसर, एम. जी. सी. जी. वी. चित्रकूट सतना (मध्य प्रदेश) भारत। E-mail : drppatkar@gmail.com

© लेखक 2014, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

था बावड़ी के आधार तल पर दिन की गर्मी से राहत मिलती है बावड़ी विशेषकर आवासीय व नगरीय क्षेत्रों में मिलते हैं भारत में प्राप्त बावड़ियो में से कुछ ऐसी हैं जिनकी बनावट देखकर आश्चर्य होता हैं कि यह मानव निर्मित न होकर जिन्न भूतों द्वारा बना है।

ये बावड़ियाँ अपने क्षेत्र के त्योहारों के विशेष आकर्षण के केन्द्र तो होते ही हैं साथ ही फिल्मकारों के भी आकर्षण के केन्द्र हैं तभी तो यहाँ अनेको फिल्मों की शूटिंग हुई है।

परिचय

भारतीय बावड़ियों में सिरमौर या शीर्ष स्थान रखने वाले बावड़ियों में रानी की वाव (पाटन गुजरात) तथा चांद बावड़ी (आभानेरी राजस्थान) अति प्रसिद्ध है। ये दोनों अपने बनावट आकार संरचना अभियांत्रिकी में श्रेष्ठ है लेकिन क्षेत्रफल में रानी की वाव चांद बावड़ी की अपेक्षा बड़ा हैं। रानी की वाव को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2014 में कतर की राजधानी दोहा में विश्व घरोहर घोषित किया यूनेस्को ने इस वाव को तकनीकी विकास का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण माना है जिसमें भूमिगत जल का उपयोग तथा जल प्रबंधन की बेहतरीन व्यवस्था थी। इससे पहले 2004 में गुजरात के पंचमहाल जिले के चांपानेर पावागढ़ किले को भी विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है।

रानी की वाव सात मंजिला वास्तु तथा अपने अलंकृत विशाल गलियारा एवं बनावट के लिये प्रसिद्ध है तो 13 मंजिली चांद बावड़ी अपने लयबद्ध और क्रमिक सीढ़ियों के लिये प्रसिद्ध है।

ये स्थल आज भी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपने ओर खीचने वाली शक्ति रखते हैं।

रानी की वाव (गुजरात)

गुजरात के पाटन शहर में स्थित इस 7 मंजिला बावड़ी का निर्माण 1022 से 1063 ई की अवधि में हुआ महेसाणा जिले से 25 मील दूर स्थित पाटन प्राचीन समय में गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। तत्कालीन राजवंश की रानी उदयमति ने पति भीमदेव की याद में इसका निर्माण करवाया था। करीब 64 मीटर लंबी और 20 मीटर चौडी तथा 27 मीटर गहरी इस बावड़ी में ज्यादातर सीढ़ी युक्त कुओं में सरस्वती नदी के जल के कारण कीचड़ भर गया है। यह बहुमूल्य धरोहर सात शताब्दियों तक मिट्टी के गोद में दबी रही। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इसे विशेष ढंग से संरक्षित किया।

इसका निर्माण 10-11 वीं सदी में हुआ था एवं यह सोलंकी राजवंश की रानी उदयमति के पति के प्रति प्रेम का प्रतीक कहलाती है। राजा भीमदेव सोलंकी वंश के संस्थापक शासक थे जिन्होंने वड़नगर गुजरात में 1021-1063 ई तक शासन किया था। इसके निर्माण कार्य में नक्काशीदार पत्थरों का प्रयोग किया गया हैं। वाव की दीवारों और स्तंभो पर अधिकांश भगवान विष्णु तथा उनके दशावतार को समर्पित एवं बड़ा ही मोहक उत्कीर्णन हुआ है जिनमें राम वामन कल्कि आदि के साथ महिषा सुरमर्दिनी नागकन्या साधु एवं अन्य देवी देवता के साथ अप्सरा के 16 श्रृंगार के अति सुन्दर मूर्तियां विद्यमान हैं।

रानी की वाव की बनावट विशिष्ट श्रेणी की हैं। इसकी सीढ़ियां सीधी हैं लेकिन इस पर बनी कलाकृतियां अपने आप में अनूठी है। सीढ़ियों पर बने आले तथा मेहराब हालांकि अब टूट फूट चुकी है लेकिन फिर भी ये तत्कालीन समय की समृद्ध कारीगरी का दर्शन करवाते हैं। वाव की दीवारों पर लगी कलात्मक खूंटियां भी दिलकश हैं। गुजरात टूरिज्म़ के विज्ञापन में भी रानी की वाव का प्रमुखता से उल्लेख किया गया हैं जो बालीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया हैं अमिताभ बच्चन यहां पर करीब 4-5 घंटे की शूटिंग कर चुकें हैं शूटिंग के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं खुद भी इस प्राचीन स्मारक की अद्भुत कलाकारी को देखकर आश्चर्यचकित हूँ। इस वाव में एक छोटा द्वार है जहाँ से 30 किलोमीटर लम्बी सुरंग निकलती है हालांकि अब यह पत्थरों व कीचड़ से अवरोधित हो गई है यह सुरंग पाटण के सिद्धपुर शहर को निकलती है।

राजा भीमदेव सोलंकी के शासनकाल 1021-1063 ई में ही विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनी ने सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया गजनी के आक्रमण के प्रभाव के अधीन होकर सोलंकियो ने अपना वैभव खो दिया।

सोलंकी साम्राज्य की राजधानी अहिल्यवाड़ पाटण भी अपना महिमा वैभव और गौरव खोते जा रहे थे जिसे बहाल करने के लिये सालंकी राजपरिवार और व्यापारी एकजुट हुए और उन्होंने गुजरात में संयुक्त रूप से भव्य और खंडित मंदिरों के निर्माण के लिये अपना योगदान देना शुरू किया। मोढेरा का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भीमदेव सोलंकी प्रथम के द्वारा किया गया था।

मौजूदा वक्त में पाटण अपनी पटोला साडियो सहस्रलिंग तालाब सिद्धपुर तथा रानी की वावकी वजह से मशहूर हैं जो वास्तुकला का अनूठा नमूना है। पाटन का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार भीम ने यहीं पर हिडिंब राक्षस को मारकर उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। पाटण में सहस्रलिंग तालाब है जिसके किनारे दर्जनों खंडहर आज भी मौजूद हैं। यहाँ खुदाई में अब तक कई बहुमूल्य स्मारक मिल चुके हैं।

चांद बावड़ी (राजस्थान)

भारत में प्राप्त बावड़ियों में श्रेष्ठ स्थान रखने वाली चांद बावड़ी जयपुर से करीब 95 किमी दूर दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित तथा निकुम्भ राजवंश के राजा चांद सिंह द्वारा निर्मित चांद बावडी 13 मंजिली बावडी प्राचीन अभियांत्रिकी की अदभुद संरचना हैं। 9 वीं सदी में निर्मित चांद बावड़ी देवी हर्षत माता मंदिर के सामने तथा हर्षत माता को समर्पित है तथा यह भारत की सर्वाधिक गहरी बावड़ी हैं। इसमें करीब 3500 सीढियां हैं तथा गहराई 100 फीट से ज्यादा हैं। बावड़ी का निचला भाग बनावट तथा संरचना के कारण उपर के वातावरण से 6 से 7 डिग्री तक ठंडा रहता हैं। इस क्षेत्र की जल समस्या स्थानीय शुष्क वातावरण के कारण जल के गहरे स्रोत पर ही यहाँ की जनता को आश्रित रहना पड़ता हैं।

उपसंहार

रानी की वाव को विश्व धरोहर सम्मान देर से मिला जबकि यह सम्मान इस स्थल को कभी का मिल जाना चाहिए था। आखिरकार रानी की वाव को वह प्राप्त हो ही गया जिस सम्मान का यह हकदार था। परन्तु चांद बावड़ी आज भी अपने सम्मान को तरस रहा है। यह लोकप्रिय जनप्रिय स्थल जो क्षेत्र की जनता के साथ ही बालीवुड तथा क्षेत्रीय फिल्मकारों की प्रिय स्थली रही है इसको भी विश्व धरोहर घोषित कर उचित संरक्षण प्रदान करने की नितान्त आवश्यकता है।

संदर्भ

LIVINGSTON, MORNA (2002). *Steps to Water: The Ancient Stepwells of India*
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1091/
http://whc.unesco.org/en/list
http://en.wikipedia.org/wiki/Chand_Baori
www.wikipedia.org/wiki/ chand-baor i- Wikipedia, the free encyclopedia
www.wikipedia.org/wiki/Raniji ki Baori - Wikipedia, the free encyclopedia
www.saiompublications.com WONDER OF THE INDIAN ARCHITECTURE 'BAWDI, Volume 1, Issue 5 (June, 2014) by Santosk Kumar

लेखकों के लिए निर्देश

शोधपत्र का अनुरोध

लेखक अपना शोधपत्र डॉ. मनीषा शुक्ला ,प्रधान सम्पादिका आन्वीक्षिकी भारतीय शोध पत्रिका को ई-मेल पर प्रेषित करें। (maneeshashukla76@rediffmail.com)

प्राप्त शोधपत्र पत्रिका में प्रकाशन के पूर्व पुनर्निरीक्षित किये जायेंगे। स्वीकृत शोधपत्र कहीं और प्रकाशित नहीं होना चाहिए और न ही उस शोधपत्र का कोई भी भाग प्रधान सम्पादिका के अनुमति के बिना कहीं और प्रकाशित किया जा सकता है। कृपया अपने शोधपत्र की पाण्डुलिपि निम्न भागों में तैयार करें,शीर्षक ;सारांश ;पाण्डुलिपि ;पुस्तक संदर्भ सूची। कृपया पुनर्निरीक्षण की गुणवत्ता में सहायता करने हेतु अपना नाम पता पाण्डुलिपि पर न दें।

शीर्षक :शीर्षक पाण्डुलिपि पर अवश्य दें,किन्तु अपना पूरा नाम,पता,संस्था जहाँ पर अध्ययन अथवा अध्यापन कार्य सम्पादित किया गया हो, आपका विषय,दूरभाष अथवा मोबाइल,फैक्स,ई-मेल पत्राचार हेतु अलग पृष्ठ पर अवश्य दें। उपर्युक्त तथ्य आपके शोधपत्र के शब्द सीमा के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

सारांश :कृपया शोधपत्र का सारांश 120 शब्दों में दें।

पाण्डुलिपि :इसके अन्तर्गत मुख्य पाठ्य सामग्री होगी ; जो 5 से 10 पृष्ठ तक होनी चाहिये। शोधपत्र 10 पृष्ठ से (सारांश,शब्द संक्षेप,संदर्भ सूची समेत)अधिक प्रकाशन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा। अन्यथा वृहद् शोधपत्र(10 पृष्ठ से अधिक) प्रकाशन में देर भी हो सकती है। लेखक को यह बात स्वीकार होनी चाहिए कि शोधपत्र पुनर्निरीक्षण के दौरान किये गये संशोधन उन्हें मान्य होंगे। शोधपत्र प्रकाशन के दौरान त्रुटि की सम्भावना न बने इसका पूरा ध्यान रखा जाता है फिर भी कोई त्रुटि पाये जाने पर लेखक संशोधित रीप्रिंट प्राप्त कर सकता है ; पत्रिका में संशोधन की व्यवस्था नहीं है।

सन्दर्भ वर्णमालाक्रामानुसार :शोधपत्र के समापन पर कृपया संदर्भ वर्णमाला क्रमानुसार दें। पत्रिका का वर्ष,लेखक, पृष्ठ संख्या,भाग इत्यादि विस्तार से दें। पुस्तक शीर्षक या पत्रिका शीर्षक इटालिक दें।

पुस्तक :प्रकाशक का नाम,संस्करण संख्या,प्रकाशन वर्ष,लेखक का नाम,पुस्तक का नाम,पृष्ठ संख्या

पत्रिका :पत्रिका का नाम,लेख का शीर्षक,लेखक का नाम,प्रकाशक का नाम,अंक संख्या/माह,वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा मासिक जो भी हो स्पष्ट करें।

समाचार पत्र :प्रकाशक,तिथि,सन् ,पृष्ठ संख्या,

इण्टरनेट :वेबसाइड,पृष्ठ संख्या,मुख्य शीर्षक,अन्त: शीर्षक।

मानचित्र एवं सारणी :मानचित्र एवं सारणी अथवा चित्र शोधपत्र की समाप्ति के अन्त में दें। यह ब्लैक एण्ड व्हाइट ही होना चाहिए। इसका स्पष्ट संकेत पाण्डुलिपि में दें(उदाहरण सारणी संख्या 1)

विशेष :कृपया अपना शोधपत्र ई-मेल करने के बाद डॉक से अवश्य भेजें। अपने शोधपत्र के साथ-साथ अपना वायोडाटा, फोटो,स्वपता लिखा लिफाफा(25 रू के टिकट सहित)भेजें। शोधपत्र यदि हिन्दी भाषा में है तो ए.पी.एस प्रियंका रोमन(ए.पी.एस. कार्पोरेट 2000++)में तैयार सी.डी के साथ दें। शोधपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लेखक को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। ई-मेल से प्राप्त शोधपत्र हेतु ई-मेल से स्वीकृति भेजी जायेगी। शोधपत्र प्रेषित करने के पूर्व प्रधान सम्पादिका से दूरभाष पर अवश्य सम्पर्क करें। सम्पादक मण्डल अथवा सलाहकार समिति में सम्मिलित करने का अंतिम निर्णय संस्था का होगा।

सदस्यों से निवेदन है कि वर्ष में 20 सदस्य पत्रिका से जोड़कर संस्था का सहयोग करें।